



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)

राजस्थान सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय-सूची		
	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन	-	(v)
अध्याय I		
प्रस्तावना		
इस प्रतिवेदन के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षित इकाईयों की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.3	2
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन	1.4	2
लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष	1.5	3
निष्पादन लेखापरीक्षाओं/प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर	1.6	6
लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर का अभाव	1.7	6
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.8	7
अध्याय II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग		
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण	2.1	9
अध्याय III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
कृषि विभाग		
संग्रहालय भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय	3.1	39
सहकारिता एवं उद्यान विभाग		
लहसुन के लिए भण्डारण सुविधा की अनुपलब्धता के कारण बाज़ार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत हानि	3.2	40
वित्त विभाग		
पेंशन का अधिक/कम भुगतान	3.3	42

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग		
बारां जिले में सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी (सा.न.मि.) विद्यालय का निर्माण नहीं होना	3.4	45
चिकित्सा शिक्षा विभाग		
जोधपुर में पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का पूर्ण न होना	3.5	47
किराए की मांग नहीं करने के कारण संवेदक को अदेय लाभ	3.6	50
अनुसंधान अस्पताल, जयपुर पर निष्फल व्यय	3.7	51
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
डक्टाइल आयरन पाइपों के लिए मूल्य वृद्धि के पेटे अधिक भुगतान	3.8	53
गलत मूल्य सूचकांक अनुमत्य कर संवेदकों को अधिक भुगतान	3.9	55
संवेदकों को अदेय लाभ	3.10	57
शहरी विकास एवं आवासन विभाग		
निर्माणकर्ताओं से श्रमिक उपकर का संग्रहण नहीं करना	3.11	59

परिशिष्ट		
		पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1	विभागों की सूची दर्शाने वाला विवरण	63
परिशिष्ट 1.2	लेखापरीक्षा प्रेक्षकों का उत्तर देने के अभाव का विवरण दर्शाने वाला विवरण	64
परिशिष्ट 2.1	प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संगठनात्मक संरचना के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण	65
परिशिष्ट 2.2	पीएमएवाई-जी की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों के नाम दर्शाने वाला विवरण	67
परिशिष्ट 2.3	अंतिम स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण	68

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय सम्मिलित हैं।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इसके अधीन जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम 2007 के अन्तर्गत सरकारी विभागों के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा से संबंधित है। इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल के पटल पर उपस्थापित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टांत वे हैं जो वर्ष 2018-19 की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये, साथ ही ऐसे प्रकरण जो पिछले वर्षों में ध्यान में आये किन्तु उन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका तथा वर्ष 2018-19 की अवधि के आगे के दृष्टांत, जहाँ कहीं आवश्यक थे, भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

अध्याय I
प्रस्तावना

अध्याय I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के चयनित कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा में उजागर हुए मामलों से संबंधित है।

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों के व्ययों से संबंधित लेनदेनों की जाँच से संदर्भित है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या भारत के संविधान, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों के प्रावधानों की अनुपालना की जा रही है। दूसरी ओर निष्पादन लेखापरीक्षा, यह भी जाँच करती है कि क्या कार्यक्रमों/गतिविधियों/विभाग के उद्देश्यों को मितव्ययिता पूर्वक एवं प्रभावी रूप से प्राप्त किया गया है।

प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानसभा के समक्ष लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के लिए यह आवश्यक है कि लेनदेनों की प्रकृति, आकार एवं महत्व, रिपोर्टिंग के महत्वपूर्ण स्तरों के अनुसार होने चाहिये। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष, प्रत्याशा करते हैं कि ये कार्यपालक को सुधारात्मक कार्यवाही करने एवं नीति-निर्देश बनाने में समर्थता प्रदान करें, जो कि संगठन के वित्तीय प्रबन्धन में सुधार हेतु उसका मार्ग-दर्शन करेंगे, एवं इस प्रकार उसे सुशासन में भागीदार बनायेंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा आयोजना एवं व्याप्तियों की व्याख्या के अतिरिक्त, चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों, अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संकलन को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में 'प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा में उजागर निष्कर्ष शामिल है। अध्याय III में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण शामिल हैं।

1.2 लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा

राजस्थान सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत, 50 विभाग, 174 स्वायत्तशासी निकाय एवं 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो कि अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिवों/सचिवों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं, जिनकी लेखापरीक्षा महालेखाकार¹ (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जाती है। विभागों की सूची **परिशिष्ट 1.1** में दी गई है।

राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान किये गये व्ययों की तुलनात्मक स्थिति **तालिका 1** में दी गई है।

¹ दिनांक 18.05.2020 से कार्यालय के पूर्ववर्ती नाम 'प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)' को बदलकर 'महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1)' किया गया है।

तालिका 1: व्ययों की तुलनात्मक स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय			
सामान्य सेवायें	39,203	43,450	54,364
सामाजिक सेवायें	49,371	53,064	65,687
आर्थिक सेवायें	38,565	49,327	46,722
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-*	-**	-***
योग	1,27,139	1,45,841	1,66,773
पूंजीगत एवं अन्य व्यय			
पूंजीगत परिव्यय	16,980	20,623	19,638
संवितरित कर्ज एवं अग्रिम	12,965	1,334	1,113
लोक ऋण की अदायगी	5,015	11,674	16,915
आकस्मिकता निधि	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,48,885	1,47,088	1,60,570
योग	1,83,845	1,80,719	1,98,236
कुल योग	3,10,984	3,26,560	3,65,009

स्रोत: राज्य वित्त पर सम्बन्धित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

* ₹ 6 लाख मात्र ** ₹ 11 लाख मात्र, *** ₹ 9 लाख मात्र ।

1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवाओं की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिया गया है। विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धांत तथा कार्यपद्धति सीएजी द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षा मानक, 2017 में निर्धारित किये गये हैं।

1.4 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजना तथा लेखापरीक्षा का संचालन

सीएजी के निर्देशों के अन्तर्गत, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्वायत्तशाषी निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थाओं की लेखापरीक्षा का संचालन करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1), राजस्थान, जयपुर के लेखापरीक्षा दलों द्वारा राज्य सरकार के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न विभागों एवं स्वायत्तशाषी निकायों (पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों के अलावा), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की चयनित इकाईयों की वित्तीय, निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया, विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/स्वायत्तशासी निकायों एवं योजना/परियोजना इत्यादि के जोखिम प्रदर्शन के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। जोखिम का मूल्यांकन व्ययों, गतिविधियों की आलोच्यता/जटिलता, वित्तीय शक्तियों के सौंपने का स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं भागीदारों की चिन्ताओं पर आधारित होता है। इस अभ्यास में गत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्ष भी ध्यान में रखे जाते हैं।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समावेश करते हुए, इकाई/विभागों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन, जारी किये जाते हैं। इकाईयों/विभागों से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त के एक माह के अन्दर, जवाब प्रेषित करने हेतु निवेदन किया जाता है। जब भी जवाब प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटारा कर लिया जाता है या अनुपालना के लिए अग्रेतर कार्यवाही की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उजागर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए तैयार किया जाता है।

सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की 20,733 इकाईयों में से 1,607 इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजित की गई। आगे, वर्ष 2018-19 के दौरान, 10,638 लेखापरीक्षा दल दिवस उपयोजित किये गये (वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु)। लेखापरीक्षा आयोजना में उन इकाईयों/विभागों को आवृत्त किया गया जो कि जोखिम मूल्यांकन के अनुसार महत्वपूर्ण जोखिमों के प्रति सुरक्षित नहीं थी।

1.5 लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में लेखापरीक्षा ने, निष्पादन लेखापरीक्षा के माध्यम से, चयनित विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के क्रियान्वयन में एवं साथ ही आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता पर कई महत्वपूर्ण कमियों को प्रतिवेदित किया है, जिन्होंने कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य को प्रभावित किया। इसी प्रकार, सरकारी विभागों/संगठनों की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान उजागर हुई कमियों को भी प्रतिवेदित किया गया है।

वर्तमान प्रतिवेदन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उन कमियों को इंगित करता है जो कार्यक्रमों की कार्यपद्धति/विभागों की गतिविधियों की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनमें सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, की चर्चा नीचे की गई है:

1.5.1 विभागों के कार्यक्रमों/गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन के अध्याय II में 'प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन' की निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। निष्पादन लेखापरीक्षा के संक्षिप्त सार की निम्न अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

1.5.1.1 प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण का क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, आवासहीन परिवारों, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021-22 तक निर्माण किए जाने वाले आवासों का कुल लक्ष्य 2.95 करोड़ था। तत्काल उद्देश्य, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में एक करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना था, जिसमें से राजस्थान राज्य के लिए 6.87 लाख आवासों का लक्ष्य रखा गया था। योजना के क्रियान्वयन की प्रगति तथा अन्य योजनाओं के साथ इसके बाहरी अभिसरण का आंकलन करने के लिये एक निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा **अनुच्छेद 2.1** में की गई है।

यह पाया गया कि लाभार्थियों की पहचान में कमियों के कारण, 40.57 लाख में से केवल 16.99 लाख लाभार्थियों की पहचान समय से की गई थी। इस प्रकार, योजना केवल 41.88 प्रतिशत वांछित लाभार्थियों को दी गई जिन्हें योजना के कई लाभों से वंचित रखा गया तथा 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण की अनदेखी की गई। निर्मित आवासों के उपयोग की नमूना जांच में पाया गया कि 31.02 प्रतिशत निर्मित आवास खाली रह गए। इसके अलावा, विशेष रूप से, सामाजिक-आर्थिक रूप से 'भूमिहीन' एवं 'दिव्यांग व्यक्तियों' की श्रेणियों से सम्बंधित लाभार्थियों को योजना का लाभ निर्धारित सीमा तक नहीं दिया जा सका। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के क्षेत्र में कमियां पायी गईं एवं निर्धारित मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन आदि को पूर्ण आवासों में उपलब्ध नहीं किया जा सका। विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण और निरीक्षण की कमी के कारण क्रियान्वयन में इन कमियों का पता लगाने में विफलता हुई। यद्यपि, योजना के अंतर्गत आवासों का बुनियादी निर्माण काफी हद तक सफल रहा क्योंकि लक्षित आवासों में से 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुके थे। लेखापरीक्षा में पायी गई कमियों के आधार पर योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 2.1)

1.5.2 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेप

आलोच्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा ने महत्वपूर्ण कमियां उजागर की जिन्होंने राज्य सरकार की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित किया। अनुपालन लेखापरीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय III में प्रतिवेदित किये गये हैं। प्रमुख आक्षेप निम्नलिखित हैं:

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्य पूर्णता के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नव निर्मित संग्रहालय भवन को उपयोग में ना लेने के कारण इस भवन के निर्माण पर ₹ 99.97 लाख का निष्फल व्यय।

(अनुच्छेद 3.1)

भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता/असृजन के कारण विभाग द्वारा “बाजार हस्तक्षेप योजना” के अंतर्गत खरीदे गए लहसुन को अत्यंत सस्ते दामों पर बेचने की सहकारिता विभाग की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 231.77 करोड़ की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.2)

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 1.47 करोड़ का अधिक/कम/अनियमित भुगतान।

(अनुच्छेद 3.3)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ एवं बारां द्वारा पहल तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण नौ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी बारां में सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी विद्यालय भवन के निर्माण के अभाव के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान के मूल प्रयोजन का विफल होना।

(अनुच्छेद 3.4)

चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकता का अनुचित मूल्यांकन और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सात वर्षों के व्यतीत होने तथा ₹ 3.89 करोड़ का व्यय होने के पश्चात भी पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का पूर्ण नहीं होना, इसके साथ-साथ केन्द्रीय अनुदान की बकाया किश्त की राशि ₹ 3.36 करोड़ को प्राप्त करने में विफलता।

(अनुच्छेद 3.5)

चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा द्वारा नगर विकास न्यास, कोटा के संवेदक से दोनों अभिकरणों के मध्य समन्वय की कमी के कारण फ्लाइ ओवर के कार्य के लिए प्रदान की गई भूमि के किराये की राशि ₹ 23.33 करोड़ की वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 3.6)

जन लेखा समिति को आश्वासन देने के बावजूद, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग में, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन सुपर स्पेशियलिटी अनुसंधान अस्पताल 11 वर्ष व्यतीत होने तथा ₹ 19.30 करोड़ के व्यय के बाद भी अपूर्ण रहा, इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.7)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आठ खण्डों में डक्टाइल आयरन पाईपो की मूल्य वृद्धि की गणना, स्टील घटक के लिए गलत मद के सूचकांक के आधार पर करने के कारण संवेदकों को ₹ 10.73 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.8)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में, अधूरे कार्य को आगामी टाइम स्पान में पूर्ण नहीं करने पर गलत मूल्य सूचकांक अनुमत्य करने से संवेदकों को मूल्य वृद्धि का राशि ₹ 16.24 करोड़ का अधिक भुगतान।

(अनुच्छेद 3.9)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पाइपों की विलंब से आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली से संबंधित अनुबंध की विशेष शर्त की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 10.09 करोड़ का अदेय लाभ।

(अनुच्छेद 3.10)

स्थानीय निकायों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम में यथानिर्धारित परियोजनाओं के अनुमोदन के समय निर्माणकर्ताओं से ₹ 7.05 करोड़ के श्रम उपकर का संग्रहण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.11)

1.6 निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुपालना प्रारूप अनुच्छेदों पर विभागों का प्रत्युत्तर

प्रारूप अनुच्छेदों को संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को प्रत्युत्तर देने हेतु उनका ध्यान आकर्षित करने के लिये अग्रेषित किया जाता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि ऐसे अनुच्छेदों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की संभावना देखते हुये, जिन्हें राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह वांछनीय होगा कि मामले पर उनकी टिप्पणी शामिल कर ली जाये। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में प्रस्तावित निष्पादन लेखापरीक्षा/प्रारूप अनुच्छेदों को प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को अग्रेषित किया गया।

अध्याय II के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अध्याय III में लिये गए 11 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर सभी सम्मिलित विभागों की प्रतिक्रिया प्राप्त हो चुकी है तथा प्रतिवेदन में समुचित रूप से सम्मिलित कर ली गई है।

1.7 लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर का अभाव

परिशिष्ट 6 के साथ पठनीय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का नियम 327 (1), विभिन्न लेखा अभिलेखों की प्रतिधारण अवधि, जो कि महालेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने के पश्चात एक से तीन वर्ष के मध्य है, का प्रावधान करता है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदों का निपटारा नहीं हो सका। 31 मार्च 2019 को वर्ष 1994-95 से 2018-19 की अवधि के दौरान (सितम्बर 2018 तक) जारी 7,572 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 28,985 अनुच्छेद निपटान हेतु लम्बित थे। वर्षवार बकायों की संख्या तालिका 2 में दर्शायी गई है।

तालिका 2

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2011-12 तक	2,906	7,553
2012-13	682	2,454
2013-14	941	3,252
2014-15	916	3,330
2015-16	763	3,290
2016-17	739	4,348
2017-18	386	2,893
2018-19 (सितम्बर 2018 तक)	239	1,865
योग	7,572	28,985

राज्य सरकार ने सभी विभागीय अधिकारियों को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के शीघ्र निपटारे हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के अन्दर तथा आगे के लेखापरीक्षा आक्षेपों के उत्तर एक पखवाड़े के अन्दर भेजने के अनुदेश जारी किये थे (अगस्त 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च 2002 में जारी किये गये अनुदेशों में, लेखापरीक्षा से संबंधित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेत था।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों की प्रतिक्रियाओं के लम्बित रहने का अध्ययन करने के लिये उन तीन विभागों का विस्तृत विश्लेषण किया गया जिन्हे निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये थे। आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (196 निरीक्षण प्रतिवेदन), तकनीकी शिक्षा विभाग (63 निरीक्षण प्रतिवेदन) तथा पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग (544 निरीक्षण प्रतिवेदन) की विभिन्न ईकाइयों के निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में ज्ञात हुआ कि 803 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 2,753 अनुच्छेद 31 मार्च 2019 को बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गई अनियमितताओं का श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य सरकार के वित्त विभाग ने निश्चय किया (दिसम्बर 1996) कि सभी अनुच्छेदों/समीक्षाओं, जो कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं, पर एक्शन टेकन नोट्स (एटीएन), प्रतिवेदन के विधानसभा में प्रस्तुत होने के तीन माह के अन्दर, लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा कर, जन लेखा समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये गये विभिन्न विभागों से संबंधित अनुच्छेदों/निष्पादन समीक्षाओं पर बकाया एटीएन की समीक्षा में पाया गया कि 31 मई 2020 को संबंधित विभागों से दो एटीएन² लम्बित थे।

² लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त) 2017-18 के अनुच्छेद 3.2 तथा 3.4।

अध्याय II
निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय-II निष्पादन लेखापरीक्षा

यह अध्याय प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की निष्पादन लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करता है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

2.1 प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

कार्यकारी सारांश

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आवासहीन, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले सभी परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों को आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर ₹ 1.20 लाख की वित्तीय सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जानी थी। राज्य के लिए 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों में 6.87 लाख आवासों का लक्ष्य रखा गया।

पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में यद्यपि आवास निर्माण की प्रगति अच्छी थी, तथापि योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न कमियाँ देखी गईं। 7.15 लाख लाभार्थियों का डेटा अपलोड करने में विफलता के कारण भारत सरकार द्वारा उन्हें स्थायी वरीयता सूची में शामिल करने से इनकार करके पक्के आवास से वंचित कर दिया गया। भूमिहीन लाभार्थियों और दिव्यांगजन को सहायता निर्धारित सीमा तक प्रदान नहीं की गई। चयनित पूर्ण आवासों में से 31.02 प्रतिशत आवासों का लाभार्थियों द्वारा आवासीय उपयोग नहीं किया गया एवं 2.37 प्रतिशत आवास, जो आवास-सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शाए गए, अपूर्ण थे। अन्य योजनाओं से अभिसरण कर पूर्ण आवासों में आधारभूत सुविधाएं जैसे शौचालयों, बिजली, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ रसोई ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का उद्देश्य निर्धारित सीमा तक प्राप्त नहीं किया जा सका। रोचक है कि चयनित पूर्ण आवासों में से 49.15 प्रतिशत आवासों में शौचालय नहीं थे जबकि राज्य को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।

राज्य नोडल स्वाते में केन्द्रांश एवं राज्यांश के विलम्ब से हस्तांतरण, लाभार्थियों को प्रथम किस्त के हस्तांतरण में विलम्ब, एक ही किस्त का लाभार्थियों को दोहरा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में फाल्स सक्सेस/रिजेक्ट प्रकरण, अंकेषण प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के मामले भी पाए गए।

योजना के क्रियान्वयन में अनुश्रवण एवं निरीक्षण अपर्याप्त था। शिकायत निवारण तंत्र त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण रहा।

2.1.1 परिचय

सार्वजनिक आवास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में, सरकार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम, एक स्वतंत्र कार्यक्रम इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के रूप में जनवरी 1996 में प्रारंभ किया गया। यद्यपि आईएवाई ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सम्बन्धी जरूरतों को पूरा किया, फिर भी कुछ चिन्हित कमियाँ जैसे लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, आवास की खराब गुणवत्ता, तकनीकी पर्यवेक्षण की कमी, अभिसरण की कमी और अनुश्रवण की कमजोर प्रणाली इस कार्यक्रम के प्रभाव और परिणामों¹ को सीमित कर रहे थे।

सरकार की 2022 तक 'सभी के लिए आवास' उपलब्ध करने की प्रतिबद्धता एवं ग्रामीण आवास कार्यक्रम में चिन्हित कमियों को ध्यान में रखते हुए आईएवाई को 1 अप्रैल 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में पुनर्गठित किया गया।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले सभी परिवारों को 2022 तक आधारभूत सुविधाओं के साथ एक पक्का आवास प्रदान करना था। 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2021-22 तक निर्माण किए जाने वाले आवासों का कुल लक्ष्य 2.95 करोड़ था। तत्काल उद्देश्य, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 तक में एक करोड़ परिवारों को लाभान्वित करना था, जिसमें से राजस्थान राज्य के लिए 6.87 लाख आवासों का लक्ष्य रखा गया था।

पीएमएवाई-जी की प्रमुख विशेषताएं:

- न्यूनतम इकाई (आवास) का माप 25 वर्ग मीटर होगा जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु एक समर्पित क्षेत्र शामिल है।
- प्रति आवास ₹ 1.20 लाख की आर्थिक सहायता आवास के निर्माण की प्रगति के आधार पर तीन किस्तों² में प्रदान करना। प्रति आवास आर्थिक सहायता की लागत को केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) या अन्य किसी समर्पित निधि के स्रोत से, अभिसरण द्वारा शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता (₹ 12,000) का प्रावधान।
- आर्थिक सहायता के अलावा आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90 मानव-दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी का प्रावधान।

¹ योजना का उद्देश्य सभी के निवास के लिए पर्याप्त आश्रय, विशेष रूप से वंचित शहरी एवं ग्रामीण गरीबों की सहयोगात्मक तरीके से विकास एवं बुनियादी सुविधाओं जैसे आधारभूत संरचना, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, बिजली आदि तक पहुंच में सुधार करना था।

² राज्य सरकार ने वर्ष 2016-17 के लिए 25: 50: 25 के अनुपात में ₹ 30,000, ₹ 60,000 और ₹ 30,000 की तीन किस्तों का निर्धारण किया। 2017-18 से अनुपात को 25:40:35 यानी ₹ 30,000, ₹ 48,000 और ₹ 42,000 में बदल दिया गया।

- लाभार्थी को समस्त भुगतान आधार/भामाशाह कार्ड से जुड़े, उनके बैंक/डाकघर स्वातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।
- मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन आदि के प्रावधान के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण करना।
- यदि लाभार्थी चाहे तो उसे वित्तीय संस्थानों से ₹ 70,000 तक का ऋण उपलब्ध कराने में मदद की जाएगी।

पीएमएवाई-जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है लाभार्थियों का चयन जो सुनिश्चित करती है कि आर्थिक सहायता उन्ही लोगों को लक्षित है जो वास्तव में वंचित हैं तथा जिनका चयन निष्पक्ष एवं सत्यापन योग्य हैं। योजना के लिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आंकड़ों में आवास अभाव को दर्शाने वाले मापदंडों का उपयोग करके किया जाता है जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाना होता है। एसईसीसी आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई स्थायी प्रतीक्षा सूची यह भी सुनिश्चित करती है कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु, राज्यों के पास, आने वाले वर्षों में योजना में समाविष्ट करने के लिए परिवारों की तैयार सूची (वार्षिक चयन सूचियों के माध्यम से) उपलब्ध हों। लाभार्थी चयन में शिकायतों के निवारण हेतु एक अपील प्रक्रिया भी बनायी गई है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-जी में, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य आदि से अंत तक ई-गवर्नेंस मॉडल "आवास-सॉफ्ट" द्वारा निष्पादित किया जाता है जो कि एक वेब आधारित लेनदेन सम्बन्धी इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाता प्लेटफार्म है। पीएमएवाई-जी के सभी कार्य जैसे एसईसीसी से लाभार्थियों की पहचान, लक्ष्यों का निर्धारण, निधि जारी करना, लाभार्थी को स्वीकृति आदेश जारी करना, लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण के चरणों की प्रगति की निगरानी करना और लाभार्थी को सहायता राशि जारी करना आदि आवास-सॉफ्ट के माध्यम से किये जाते हैं।

राज्य में योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रावि एवं पंरावि) है। पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर प्राधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिया गया है।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- (i) योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और यथोचित थी;
- (ii) भौतिक प्रगति और अन्य सुविधाओं के साथ अभिसरण सहित आवासों का निर्माण लक्ष्यों और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में था;
- (iii) वित्तीय प्रबंधन और योजना के अनुश्रवण और मूल्यांकन का तंत्र योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार थे।

2.1.3 लेखापरीक्षा हेतु मापदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा (निलेप) के मापदंड निम्नलिखित दस्तावेजों पर आधारित थे:

- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्राविम³), द्वारा जारी पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन का फ्रेमवर्क (नवंबर 2016);
- भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अधिसूचना, परिपत्र एवं आदेश;
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996;
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के लिए लेखांकन प्रक्रिया, 2001;
- सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना -2011 (एसईसीसी-2011)।

2.1.4 लेखापरीक्षा व्याप्ति एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में पीएमएवाई-जी योजना के प्रारंभ अर्थात् 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च, 2019 तक की गई विभिन्न गतिविधियों को समाविष्ट किया गया है।

योजना राज्य के सात प्रशासनिक संभागों⁴ के सभी तैंतीस जिलों में संचालित की जा रही हैं। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए सात जिलों⁵ (प्रत्येक संभाग में एक जिला), नौ पंचायत समितियों⁶ (प्रत्येक चयनित जिले के भीतर कुल पंचायत समितियों का 10 प्रतिशत) एवं 59 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक चयनित पंचायत समिति के भीतर कुल ग्राम पंचायतों का 20 प्रतिशत) के एक नमूने का चयन आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट (एसआरएसडब्लूओआर) के आधार पर किया गया। चयनित नमूने का विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है।

इसके अलावा, 590 लाभार्थियों (प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायत के कुल लाभार्थियों का एक प्रतिशत परन्तु कम से कम 10) जिन्होंने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता से आवास पूर्ण किये थे, का विभागीय कार्मिकों के साथ सयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चयन किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम पंचायतों में 69 अपूर्ण आवासों का निरीक्षण किया गया। इस प्रकार भौतिक सत्यापन हेतु नमूने का समग्र आकार 659 आवास था। लेखापरीक्षा ने सबसे रूढ़िवादी या सबसे खराब स्थिति वाले 50 प्रतिशत के प्रतिक्रिया वितरण प्रतिशत को चुना जो यह दर्शाता है कि किसी प्रश्न के सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया की समान संभावना है। परिणामस्वरूप, 50 प्रतिशत सबसे बड़ा नमूना आकार देता है। इस सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर 95 प्रतिशत निश्चितता (विश्वास स्तर) के साथ यह दावा किया जा सकता है कि यह नमूना 6,86,262 स्वीकृत आवासों की पूरी आबादी से वास्तविक परिणामों के +/- 3.8 प्रतिशत (विश्वास अंतराल) के मध्य परिणाम देता है।

³ ग्राविम केंद्रीय स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है।

⁴ अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर

⁵ टोंक, भरतपुर, बीकानेर, दौसा, जोधपुर, बारां और उदयपुर

⁶ निवाई, कुम्हेर, नोखा, दौसा, मंडोर, फलोदी, बारां, गिर्वा और सलूमबर

चयनित ईकाईयों और विभिन्न स्तरों जैसे राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा तथा चयनित पूर्ण/अपूर्ण आवासों का संयुक्त भौतिक सत्यापन जुलाई 2019 से अक्टूबर 2019 तक की गई।

ग्रावि एवं पंरावि के साथ एक परिचयात्मक परिचर्चा दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों के बारे में चर्चा की गई। प्रारूप प्रतिवेदन राज्य सरकार को 06 मार्च 2020 को जारी किया गया एवं प्रत्युत्तर 20 मार्च 2020 को प्राप्त हुआ। ग्रावि एवं पंरावि के साथ समापन परिचर्चा 13 मई 2020 को आयोजित की गई, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर चर्चा की गई और जहाँ भी आवश्यक हो राज्य सरकार की प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित किया गया।

2.1.5 प्रशंसनीय कदम

राज्य सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि योजना कार्यान्वयन में निम्न प्रशंसनीय कदम उठाए गए हैं:

- (i) घुमंतू परिवारों के लिए पंचायत समिति बांसवाड़ा (जिला बांसवाड़ा) एवं मकराना (जिला नागौर) में सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, बिजली कनेक्शन, सामुदायिक केंद्र, पार्क एवं सोलर स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाओं से युक्त सुनियोजित कॉलोनी विकसित की जा रही हैं। (चार्ट 1)

चार्ट 1



- (ii) अन्य लाभार्थियों को अपने आवास पूर्ण करने को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान लाभार्थियों के लिए आवास दिवस पर जन-प्रतिनिधियों के साथ गृहप्रवेश समारोह आयोजित किए गए।
- (iii) कोटा जिले में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न फ्लाई-ऐश का पर्यावरण के अनुकूल निस्तारण करने हेतु, लाभार्थियों को फ्लाई-ऐश से निर्मित ईंटों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा उद्देश्य 1: क्या योजनान्तर्गत लाभार्थियों की पहचान एवं चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और यथोचित थी

2.1.6 लाभार्थियों की पहचान

2.1.6.1 स्थायी प्रतीक्षा सूची की तैयारी एवं अद्यतन

पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 4 के अनुसार लाभार्थियों की पहचान एवं प्राथमिकता एसईसीसी - 2011 के आंकड़ों में आवास के अभाव को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर की जाएगी। प्राथमिकता चार श्रेणियों, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं अन्य में निर्धारित की जाएगी। आरंभ में आवासहीन परिवारों और उसके बाद कमरों की संख्या यथा शून्य, एक और दो कमरों, के क्रमानुसार परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।

एक बार एसईसीसी आंकड़ों द्वारा श्रेणी-वार प्राथमिकता सूची तैयार करने एवं उसके उपयुक्त रूप से प्रकाशित किये जाने के बाद एक ग्राम सभा आहूत की जाएगी। ग्राम सभा उन तथ्यों को सत्यापित करेगी जिनके आधार पर परिवार का निर्धारण पात्र परिवार के रूप में किया गया है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक अपीलीय समिति⁷ द्वारा गलत तरीके से विलोपित/वरीयता क्रम में परिवर्तन के बारे में प्राप्त शिकायतों की जांच की जाएगी। इसके बाद, प्रत्येक श्रेणी के लिए ग्राम पंचायत-वार अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची, ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी एवं पीएमएवाई-जी एवं आवास-सॉफ्ट की वेबसाइट पर भी प्रविष्ट की जाएगी।

एसईसीसी-2011 के आंकड़ों के आधार पर सिस्टम द्वारा राज्य के लिए तैयार की गयी सूचि में कुल 27,21,925 लाभार्थी सम्मिलित थे। ग्राम सभाओं ने आवास अभाव के मापदंडों के आधार पर पीएमएवाई-जी के लिए 16,99,039 (62.42 प्रतिशत) पात्र लाभार्थियों की पहचान (नवम्बर 2016 तक) की एवं 10,22,886 (37.58 प्रतिशत) लाभार्थियों को विलोपन के लिए प्रस्तावित किया, जिसके आधार पर राज्य की स्थायी प्रतीक्षा सूची जनवरी 2017 में प्रकाशित की गई।

ग्राम सभाओं द्वारा 16,99,039 पात्र लाभार्थियों की पहचान के उपरांत भी, राज्य की स्थायी प्रतीक्षा सूची 12,055 पात्र लाभार्थियों को छोड़कर 16,86,984 लाभार्थियों के लिए प्रकाशित की गई। जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.3** में दिया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया (मई 2020) कि अब केवल 6615 ऐसे लाभार्थी थे, जो कुछ ग्राम पंचायतों के शहरी स्थानीय निकायों में स्थानांतरित हो जाने एवं एसईसीसी-2011 डेटाबेस में कुछ ग्राम गलत ग्राम पंचायतों में शामिल होने के कारण अभी भी स्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर हैं (41 ग्राम पंचायतें)। यह भी बताया गया कि ये लाभार्थी 2020-21 के लक्ष्यों में सम्मिलित कर लिए जायेंगे।

फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 4.4.4 के अनुसार उन परिवारों की सूची जिन्हें सिस्टम द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, परन्तु ग्राम सभा द्वारा सत्यापन के समय अन्यथा पात्र पाए गए, तैयार करनी थी। यह स्थायी प्रतीक्षा सूची के प्रकाशन के पूर्व करना था

⁷ जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उनके द्वारा नामित, एक अन्य अधिकारी और कम से कम एक गैर अधिकारिक सदस्य।

जिससे ऐसे लाभार्थी स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किये जा सकें। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस तरह की सूची किसी भी चयनित ग्राम सभा द्वारा तैयार नहीं की गई थी। राज्य सरकार ने बताया (मई 2020) कि यद्यपि ऐसे लाभार्थियों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम सभाओं द्वारा सूचना एकत्र की गई थी परन्तु भारत सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अभाव में ग्राम सभा स्थायी प्रतीक्षा सूची में ऐसे नामों को सम्मिलित करने के लिए अधिकृत नहीं थी। प्रत्युत्तर को ग्राविमं द्वारा नवंबर 2016 में प्रकाशित पीएमएवाई-जी फ्रेमवर्क के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है, जो स्थायी प्रतीक्षा सूची में ऐसे लाभार्थियों को सम्मिलित करने के लिए अधिकृत करता है। यह दर्शाता है कि स्थायी प्रतीक्षा सूची के जनवरी 2017 में प्रकाशन के समय पात्र लाभार्थियों की पहचान और उनका स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 4.6 के अनुसार ग्राविमं द्वारा (जुलाई 2017) सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह जारी की गई कि जो लाभार्थी योजना के अंतर्गत सहायता के पात्र थे परन्तु पात्र लाभार्थियों की सूची में सम्मिलित नहीं किये गए, का विवरण प्राप्त कर स्थायी प्रतीक्षा सूची को अद्यतन करने के लिए उनका विवरण आवास-सॉफ्ट पर अपलोड करें। ग्राविमं ने 24 जनवरी 2018 को राज्यों को पत्र लिखकर इस बाबत विस्तृत प्रक्रिया से अवगत कराया। ग्राविमं ने इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की समय-सीमा 31 मार्च 2018 तय की, जिसे बाद में 30 जून 2018, 30 सितंबर 2018, 30 नवंबर 2018 और अंत में राज्यों के अनुरोध पर 07 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया।

26 जून 2018 तक विभाग ने स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल करने हेतु 14.63 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान की। पात्र लाभार्थियों के पहचान की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण रही क्योंकि राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2020) कि इस उद्देश्य के लिए आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में कई संभावित लाभार्थी भाग नहीं ले सके। इसलिए, फिर 8.95 लाख पात्र लाभार्थियों की पहचान 5 मार्च 2019 तक की गई, जिससे स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने वाले कुल अतिरिक्त लाभार्थी 23.58 लाख हो गए। इनमें से, विभाग 7 मार्च 2019 की तय सीमा तक केवल 16.43 लाख लाभार्थियों का विवरण ही अपलोड कर सका, इस प्रकार 7.15 लाख पात्र लाभार्थी छूट गए।

राज्य सरकार ने 7.15 लाख लाभार्थियों का विवरण अपलोड करने में असमर्थता का कारण तकनीकी समस्या बताया (फरवरी 2020) जिसके कारण डेटा ग्राविमं को ऑफ़लाइन भेजा गया (19 मार्च 2019)। ग्राविमं से तय समय-सीमा को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने हेतु निवेदन (6 मार्च 2019) भी किया गया था। इन पात्र लाभार्थियों का डेटा तय समय सीमा में अपलोड नहीं करने के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने इन लाभार्थियों को स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित करने से इन्कार कर दिया (ग्राविमं का पत्र दिनांक 17 दिसंबर 2019), जिससे उन्हें योजना के लाभों से वंचित होना पड़ा।

ग्राम सभाओं ने पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार नहीं की और केवल 2011 की एसईसीसी सूची में बदलाव किया। इस प्रकार, शुरुआत में केवल 16.99 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई (जनवरी 2017) और बाद में अन्य 23.58 लाख की पहचान की गई (मार्च 2019)। इस प्रकार, योजना ने केवल 41.88 प्रतिशत आशायित लाभार्थियों की आवश्यकताओं को ही पूरा किया।

2.1.6.2 वार्षिक चयन सूची तैयार करना

जैसा की क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 4.7 में उल्लेखित है, मंत्रालय द्वारा राज्य को लक्ष्य सूचित किए जाने के बाद, राज्य श्रेणी-वार लक्ष्यों का जिलों को वितरण करेगा और उनको आवास-सॉफ्ट पर दर्ज किया जाएगा। चारों श्रेणियों को आवंटित किये गए लक्ष्यों के आधार पर एक वार्षिक चयन सूची तैयार की जानी थी एवं उसका व्यापक प्रचार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और गांव में भित्तिचित्रण के माध्यम से किया जाना था। अनुच्छेद 5.3.1 आगे अनुबंधित करता है कि आवंटित लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों की स्थायी प्रतीक्षा सूची से तैयार की गई वार्षिक चयन सूची को एमआईएस आवास-सॉफ्ट पर पंजीकृत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-19 के दौरान किसी भी चयनित ब्लॉक ने वर्ष-वार वार्षिक चयन सूची तैयार नहीं की थी। पीएमएवाई-जी में आर्थिक सहायता के लिए स्वीकृतियां केवल अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर जारी की गई थी।

राज्य सरकार ने वार्षिक चयन सूची तैयार नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2020) कि स्वीकृतियां स्थायी प्रतीक्षा सूची से जारी की जा रही हैं एवं आवास-सॉफ्ट पर स्वीकृतियां केवल प्राथमिकता के क्रम में ही जारी की जा सकती हैं।

वार्षिक चयन सूची के अभाव में, लेखापरीक्षा यह निर्धारित नहीं कर सकी कि व्यक्तिगत स्वीकृतियां निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार जारी की गई थी या नहीं। इसके अलावा, वार्षिक चयन सूची के व्यापक प्रचार द्वारा, लाभार्थियों को उनकी वार्षिक वरीयता क्रम के बारे में जागरूक कर, योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि की जा सकती थी, जिससे यह सुनिश्चित होता कि स्वीकृतियां प्राथमिकता के क्रम में जारी की गई थी। वार्षिक चयन सूची तैयार करने से राज्य में योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना भी बेहतर बनती है।

2.1.6.3 दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण

दिव्यांग (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। अतः पीएमएवाई-जी में आर्थिक सहायता पाने वाले लाभार्थियों के बीच पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्णय लेते समय ऐसे परिवारों जिनमें दिव्यांग सदस्य हैं और कोई भी सक्षम व्यस्क सदस्य नहीं हैं को अतिरिक्त अपवर्जन अंक दिए गए हैं। दिव्यांग अधिनियम, 1995 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 3.4.6 में उल्लिखित किया गया है कि राज्य यथासंभव यह सुनिश्चित करे कि राज्य स्तर पर 3 प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांगजन में से हो। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत दिव्यांगजन आरक्षण के बेंचमार्क को भारत सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2017 से बढ़ाकर⁸ 5 प्रतिशत कर दिया गया (मार्च 2018)।

अंतिम-स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित दिव्यांगजन से संबंधित परिवारों की सूचना मांगे जाने (नवंबर 2019) के बाद भी विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गई।

⁸ संसद द्वारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 पारित करने के कारण।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-19 के दौरान स्थायी प्रतीक्षा सूची में से जारी कुल 6,86,262 स्वीकृतियों में से केवल 1,080 लाभार्थी परिवार⁹ (0.16 प्रतिशत) दिव्यांगजन में से सम्मिलित किये गए थे। इसके अलावा, 2016-19 के दौरान कुल 6,50,903 पूर्ण आवासों में से केवल 1,031 परिवार¹⁰ (0.16 प्रतिशत) ही दिव्यांगजन से सम्बंधित थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मई 2020) कि योजना का लाभ देने के लिए दिव्यांगजन के लिए पृथक सूची का कोई प्रावधान नहीं था एवं इस संबंध में भारत सरकार से अनुरोध (जून 2019) किया गया था। भारत सरकार ने दिव्यांगजन परिवारों को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए चिन्हित ग्राम पंचायतों में स्थायी प्रतीक्षा सूची का पुनः सत्यापन हेतु निर्देशित (नवंबर 2019) किया। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि दिव्यांगजन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र लाभार्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थे, यद्यपि, आश्वस्त किया कि इस वर्ष किसी भी पात्र दिव्यांग लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के साथ देखे जाने की आवश्यकता है कि एसईसीसी-2011 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में 3,26,622¹¹ दिव्यांगजन परिवार हैं जो 2016-19 के दौरान योजना के निर्धारित मानदंडों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक 29,311¹² लाभार्थियों से अधिक हैं।

2.1.6.4 भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि की उपलब्धता

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 5.2.2 में प्रावधान है कि भूमिहीन लाभार्थी के मामले में राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि, सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत सामान्य भूमि, सामुदायिक भूमि अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरणों से संबंधित भूमि) सहित किसी अन्य प्रकार की भूमि से लाभार्थी को भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप दिए जाते ही भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था पूरी की जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुमोदित स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुसार राज्य में 55,405 भूमिहीन लाभार्थी थे। इनमें से, नवंबर 2019 तक 34,439 लाभार्थियों को भूमि प्रदान की गई एवं 20,966 लाभार्थी (37.84 प्रतिशत) भूमिहीन रहे। इसके अतिरिक्त नमूना जांच किये गए नौ ब्लॉक में से आठ ब्लॉक में लेखापरीक्षा में 754 भूमिहीन लाभार्थी¹³ पाए गए, जिन्हें आवास स्वीकृत नहीं किये गए (नवंबर 2019)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मई 2020) कि 14,503 लाभार्थी भूमिहीन रहे।

⁹ वित्तीय वर्ष 2016-17: 442, 2017-18: 403 एवं 2018-19: 235, कुल 1,080

¹⁰ वित्तीय वर्ष 2016-17: 428, 2017-18: 383 एवं 2018-19: 220; कुल 1,031

¹¹ एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में दिव्यांग सदस्य वाले परिवार जिनके पास 0, 1 या 2 कमरों के कच्चे घर हैं।

¹² कुल लाभार्थियों का वर्ष 2016-17 के लिए 3 प्रतिशत, और वर्ष 2017-19 के लिए 5 प्रतिशत।

¹³ ब्लाक- सलूमबर 16 प्रकरण, फलौदी 1 प्रकरण, मंडोर 158 प्रकरण, गिर्वा 535 प्रकरण, दौसा 18 प्रकरण, बारां 12 प्रकरण, नोखा 8 प्रकरण और निवाई 6 प्रकरण।

अनुशंसा 1:

राज्य सरकार 7.15 लाख पात्र लाभार्थियों के सम्मिलित नहीं होने के प्रकरण को भारत सरकार के समक्ष उठा सकती है ताकि पात्र लाभार्थी भविष्य में पक्के आवासों से वंचित नहीं रहे।

अनुशंसा 2:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता पर भूमि आवंटित की जाए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 2: क्या भौतिक प्रगति और अन्य सुविधाओं के साथ अभिसरण सहित आवासों का निर्माण लक्ष्यों और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में था

2.1.7 राज्य में योजना की भौतिक प्रगति

2.1.7.1 लक्ष्य और उपलब्धि

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 3.2.2 में प्रावधान है कि राज्यों को निधि और आवासों के भौतिक लक्ष्य का वार्षिक आवंटन, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (वाकायो) पर आधारित होगा। मंत्रालय द्वारा सूचित तीन वर्षों में पूर्ण किए जाने वाले आवासों की कुल संख्या के अन्दर राज्य द्वारा वार्षिक लक्ष्य प्रस्तावित किये जा सकते हैं। मंत्रालय के सूचित किये जाने के बाद, राज्य द्वारा जिले-वार एवं श्रेणी-वार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाना था एवं उसे आवास-सॉफ्ट पर अपलोड करना था।

इसके अलावा फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 5.6.2 के अनुसार, आवासों का निर्माण स्वीकृति की दिनांक से 12 महीनों के अन्दर पूर्ण किया जाना था। 9 नवंबर 2019 को आवास-सॉफ्ट रिपोर्ट के आधार पर पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास निर्माण के वर्ष-वार लक्ष्यों एवं प्राप्ति की स्थिति तालिका 1 में दी गई है।

तालिका 1: लक्ष्य और उपलब्धि


वर्ष	वर्ष के दौरान आवासों के निर्माण का लक्ष्य	स्वीकृत आवासों की संख्या	कुल पूर्ण आवास	पूर्णता का प्रतिशत	अपूर्ण आवासों की संख्या
1	2	3	4	5	6(3-4)
2016-17	2,50,258	2,50,087	2,41,913	96.73	8,174
2017-18	2,23,629	2,23,081	2,12,693	95.34	10,388
2018-19	2,13,204	2,13,094	1,96,297	92.12	16,797
योग	6,87,091	6,86,262	6,50,903	94.85	35,359 (5.15 प्रतिशत)

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई आवास-सॉफ्ट सूचना

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- अवधि 2016-19 के दौरान, 6,87,091 आवासों के लक्ष्य के विरुद्ध, 829 लाभार्थियों के संबंध में निर्माण स्वीकृतियां जारी नहीं की गईं। राज्य सरकार ने बताया (मई 2020) कि स्थायी प्रतीक्षा सूची के उन लाभार्थियों की स्वीकृतियां जारी नहीं की गईं जो योजना के 13-बिंदु स्वतः बहिर्वेशन मानदंडों में आते थे एवं इस प्रकार के निरस्तीकरण/स्वीकृति जारी नहीं किये जाने वाले मामले बढ़कर 913 हो गए।
- 2016-19 के दौरान 6,86,262 आवासों की स्वीकृति के विरुद्ध, 6,50,903 आवासों (94.85 प्रतिशत) का निर्माण पूर्ण किया गया। इस सम्बन्ध में, यह उल्लेखनीय है कि राज्य को वर्ष 2017-18 और 2018-19 ग्राविमं, भारत सरकार द्वारा 'पूर्ण आवासों की संख्या'¹⁴ श्रेणी के अंतर्गत दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मिला। यद्यपि, आवासों के पूर्ण होने की प्रतिशतता 2016-17 में 96.73 से 2018-19 में 92.12 तक लगातार घटती गई (चार्ट-2)। पूर्णता प्रतिशत के घटने के कारण नवंबर 2019 में अपूर्ण आवासों की संख्या 35,359 तक बढ़ गई, यह अवधि 2016-19 में निर्मित पूर्ण आवासों का 5.15 प्रतिशत था, जैसा कि तालिका 1 में दिया गया है।

चार्ट:2



2.1.7.2 अपूर्ण आवास

(i) अपूर्ण आवासों का वर्षवार विवरण नीचे तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2: अपूर्ण आवास

वर्ष	अपूर्ण आवास	किस्त जारी नहीं	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त
2016-17	8,174	206	2,846	5,122	-
2017-18	10,388	368	3,280	6,532	208
2018-19	16,797	456	4,661	10,843	837
योग	35,359	1,030	10,787	22,497	1,045

स्रोत: 09 नवंबर 2019 तक की आवास-सॉफ्ट रिपोर्ट


¹⁴ पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित आवासों को छत निर्माण और स्कीम लोगो की पेंटिंग होने पर पूर्ण माना जाता है।

तालिका 2 से देखा जा सकता है कि 1,030 प्रकरणों में, यद्यपि, आवास निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गई, परन्तु पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता की किस्त जारी नहीं की गई। किस्त जारी नहीं करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाए गए। इसके अलावा 33,284 प्रकरणों में, प्रथम और द्वितीय किस्त एवं 1,045 प्रकरणों में तृतीय/अंतिम किस्त जारी की गई, परन्तु आवास अभी तक अपूर्ण हैं (नवंबर 2019)। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई।

(ii) आवास-सॉफ्ट आंकड़ों (नवम्बर 2019) के आगे विश्लेषण में पाया गया कि राज्य के समस्त जिलों में अपूर्ण आवासों का प्रतिशत 1.17 प्रतिशत से 22.41 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न रहा। विस्तृत विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ कि करौली (22.41 प्रतिशत), टोंक (17.88 प्रतिशत) एवं बूंदी (12.27 प्रतिशत) जिलों में अपूर्ण आवासों का प्रतिशत सर्वाधिक था। (चार्ट 3)

चार्ट: 3

अपूर्ण आवास (जिलावार)



राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि मई 2020 तक, 21,588 आवास अपूर्ण थे। इन 21,588 अपूर्ण आवासों में से, केवल 12,187 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर था। राज्य सरकार ने अवगत कराया कि शेष आवासों का कार्य विभिन्न कारणों जैसे

परिवार के अकेले सदस्य की मृत्यु, लाभार्थी के सहायता प्राप्त करने की अनिच्छा, गलत स्वीकृतियां जारी होने, लाभार्थी का आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर आवास पूर्ण किये बगैर पलायन कर जाना आदि, के कारण से पूर्ण नहीं हो सका। राज्य सरकार ने ग्राविमं से यह अनुरोध भी (मई 2020) किया कि, 1,705 प्रकरणों को आवास-सॉफ्ट से हटाया जाए क्योंकि इनसे किस्तों की वसूली हो चुकी है।

करौली, टोंक एवं बूंदी के सम्बन्ध में, राज्य सरकार ने कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया परन्तु यह अवगत कराया (मई 2020) कि सम्बंधित जिला कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अनुशंसा 3:

राज्य सरकार अपूर्ण आवासों के उच्च प्रतिशतता वाले कुछ जिलों में योजना के क्रियान्वयन को अधिक बेहतर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा सकती है।

2.1.7.3 पूर्ण आवासों का भौतिक सत्यापन

नमूने में चयनित 590 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन का परिणाम नीचे तालिका 3 में दिया गया है:

तालिका 3: पूर्ण आवासों की नमूना जाँच की स्थिति

जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	आवास-सॉफ्ट के अनुसार पूर्ण आवासों की संख्या	आवास उपयोग में	आवास उपयोग में नहीं		
				आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं आवास	अपूर्ण आवास	आवासीय आवास के अलावा अन्य संरचना का निर्माण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बारां	5	50	33	16	1	0
भरतपुर	7	70	47	23	0	0
बीकानेर	7	70	53	15	2	0
दौसा	6	60	57	3	0	0
जोधपुर	13	130	86	42	0	1
टोंक	8	80	41	38	0	1
उदयपुर	13	130	74	46	11	0
योग	59	590	391	183	14	2
प्रतिशत			66.27	31.02	2.37	0.34

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- (i) 391 (66.27 प्रतिशत) लाभार्थी योजनान्तर्गत निर्मित पक्के आवासों में निवास कर रहे थे।
- (ii) 183 (31.02 प्रतिशत) आवासों का लाभार्थियों द्वारा आवासीय उपयोग नहीं किया जा रहा था। एक उदाहरण प्रकरण अध्ययन 1 के रूप में दिया गया है।

प्रकरण अध्ययन 1

पंचायत समिति नोखा (जिला बीकानेर) में संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया की ग्राम पंचायत सिनियाला के एक लाभार्थी (आईडी आरजे 2213340) का आवास 09 फरवरी 2018 को पूर्ण हो गया था, परन्तु लाभार्थी पुराने कच्चे आवास में रह रहा था।



भौतिक सत्यापन की तिथि: 27 अगस्त 2019

लाभार्थी का कच्चा मकान

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (मार्च 2020) में अवगत कराया कि 183 प्रकरणों में से, 36 लाभार्थियों ने योजना के अंतर्गत निर्मित उनके आवासों में रहना प्रारंभ कर दिया हैं।

अनुशंसा 4:

बड़ी संख्या में स्थानीय आवासों (31.02 प्रतिशत) को देखते हुए, सरकार को स्थानीय रहने के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और लाभार्थियों को स्थानीय मकानों में रहने के लिए मदद करनी चाहिए।

(iii) जो 14 आवास (2.37 प्रतिशत) आवास-सॉफ्ट में 'पूर्ण' दर्शाए गए, वास्तव में अपूर्ण थे। इन आवासों में से 12 आवास बिना छत के थे एवं एक आवास भूतल स्तर तक ही निर्मित था। इन 13 प्रकरणों में तीनों किस्तों का लाभ उठाने के बाद भी आवास अपूर्ण थे। यह पता चला कि इनमें से पांच आवासों¹⁵ को भ्रामक जिओ-टैगिंग कर आवास-सॉफ्ट पर 'पूर्ण' दर्शाया गया था। एक उदाहरण प्रकरण अध्ययन 2 के रूप में दिया गया है। यह दर्शाता है कि आंकड़ें अपलोड करने में यथोचित कर्मठता की कमी रही एवं भौतिक प्रगति की उसी सीमा तक ओवर रिपोर्टिंग की गई। राज्य सरकार ने अवगत कराया (मई 2020) कि इन प्रकरणों की जांच की जाएगी।

¹⁵ (i) जिला-उदयपुर, ब्लॉक सलूमबर, ग्राम पंचायत-बेडावल- आईडी आरजे 2427138
(ii) जिला-उदयपुर, ब्लॉक सलूमबर, ग्राम पंचायत- बेडावल, आईडी आरजे 2382042
(iii) जिला-जोधपुर, ब्लॉक फलोदी, ग्राम पंचायत-पडियाल- आईडी आरजे 1107415
(iv) जिला-जोधपुर, ब्लॉक फलोदी, ग्राम पंचायत-पडियाल - आईडी आरजे 1025670
(v) जिला-बीकानेर, ब्लॉक नोखा, ग्राम पंचायत गजसुखदेसर- आईडी आरजे 3194489

प्रकरण अध्ययन 2

पंचायत समिति सलुम्बर (जिला उदयपुर) में संयुक्त भौतिक सत्यापन से पाया गया कि ग्राम पंचायत बेडावल में लाभार्थी (आईडी आरजे 2382042) का आवास, आवास-सॉफ्ट पर पूर्ण दिखाया गया था (15 जून 2018) जबकि आवास केवल भूतल स्तर तक पूर्ण था लेकिन लाभार्थी के भाई का आवास जो कि मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे योजना में निर्मित हुआ था, की जिओ-टैगिंग कर आवास पूर्ण दिखाया गया।



भौतिक सत्यापन की तिथि: 26 सितम्बर 2019

अन्य आवास की जिओ-टैगिंग

(iv) दो लाभार्थियों (0.34 प्रतिशत) ने आवास की जगह दुकानों का निर्माण किया एवं दुकानों की तस्वीरें अपलोड की गईं। राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया (मई 2020) गया एवं सम्बंधित जिलों को जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। एक प्रकरण उदाहरणार्थ **प्रकरण अध्ययन 3** में दिया गया है।

प्रकरण अध्ययन 3

पंचायत समिति फलोदी (जिला जोधपुर) में संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि ग्राम पंचायत ढाढू के लाभार्थी (आईडी आरजे 2053944) ने आवासीय मकान की जगह एक दुकान का निर्माण किया (11 अप्रैल 2019) एवं उसी को आवास-सॉफ्ट पर दिखाया गया।



भौतिक सत्यापन की तिथि: 17 अक्टूबर 2019

आवास पूर्ण होने पर आवास-सॉफ्ट पर प्रदर्शित आवास

यह भी पाया गया कि जांच किये गए 590 पूर्ण आवासों में से 131 आवास (22.20 प्रतिशत) 12 महीने की निर्धारित अवधि के बाद पूर्ण किये गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि देरी कई कारणों की वजह से हुई जैसे कि आर्थिक सहायता जारी करने में देरी, स्वास्थ्य समस्याएं, पहाड़ी इलाके आदि, जिनमें से कई लाभार्थी के नियंत्रण से बाहर थे। इसलिए, सरकार को राज्य भर के मामलों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां निरंतर प्रशासनिक प्रयासों के माध्यम से आवासों को पूरा किया जा सकता है।

2.1.7.4 अपूर्ण आवासों का भौतिक सत्यापन

69 अपूर्ण आवासों का संयुक्त भौतिक सत्यापन का परिणाम नीचे तालिका 4 में दिया गया है:

तालिका 4: अपूर्ण आवासों की नमूना जाँच की स्थिति

जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायत	नमूना जाँच किये गए अपूर्ण आवासों की संख्या	कार्य प्रगति पर	लेखापरीक्षा द्वारा 'पात्र नहीं' पाया गया ¹⁶	मृत्यु	पलायन	अन्य कारण ¹⁷
बीकानेर	नोखा	4	11	4	2	1	1	3
भरतपुर	कुम्हेर	3	3	0	0	1	0	2
उदयपुर	गिर्वा	4	10	0	1	2	1	6
	सलुम्बर	5	15	0	2	3	4	6
जोधपुर	फलौदी	5	18	0	6	0	5	7
	मंडोर	4	6	2	0	1	0	3
दौसा	दौसा	4	6	2	0	0	0	4
योग		29	69	08	11	08	11	31
प्रतिशत				11.59	15.94	11.59	15.94	44.93

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि,

- (i) केवल आठ प्रकरणों (11.59 प्रतिशत) में निर्माण कार्य प्रगतिरत था।
- (ii) 11 लाभार्थी (15.94 प्रतिशत), जिन्हें ₹ 4.86 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, पीएमएवाई-जी योजनान्तर्गत पात्र नहीं थे, क्योंकि या तो उनके पास पहले से पक्का आवास था या मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे योजना के अंतर्गत उनका आवास निर्मित हो चुका था। कुल आर्थिक सहायता में से, ₹ 4.56 लाख की राशि वसूली अक्टूबर 2019 तक की जानी थी। इससे यह भी संकेत मिलता है कि लाभार्थियों का चयन उस सीमा तक पारदर्शी नहीं था। एक उदाहरण प्रकरण अध्ययन 4 के क्रम में दिया गया है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2020) एवं अवगत कराया कि जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

¹⁶ मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे योजना के तहत पहले से निर्मित आवास, पहले से ही पक्का आवास रखने वाले व्यक्ति आदि।

¹⁷ भूमि का विवाद, बजरी की अनुपलब्धता, निधि की कमी, लाभार्थी की आवास बनाने की अनिच्छा, बीमारी या पारिवारिक समस्या आदि कारण।

प्रकरण अध्ययन 4

पंचायत समिति फलौदी (जिला जोधपुर) के ग्राम पंचायत पडियाल में लाभार्थी (आईडी- आरजे 1107412) को प्रथम किस्त ₹ 30,000 के 09-05-2017 को भुगतान के बाद भी आवास का निर्माण 15-10-2019 तक प्रारंभ नहीं हुआ था। इसके अलावा लाभार्थी तीन से अधिक कमरों वाले पक्के आवास में रह रहा था। अतः पीएमएवाई-जी में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए अपात्र था।



तीन से अधिक कमरों के साथ लाभार्थी का पक्का आवास।

आवास निर्माण के लिए आवास-सॉफ्ट पर जिओ-टैग किये गए प्रस्तावित स्थल का चित्र

(iii) 19 लाभार्थियों का आवास जिन्हें ₹ 11.82 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी, स्थायी पलायन (11 प्रकरण) तथा लाभार्थियों की मृत्यु (8 प्रकरण) के कारण पूर्ण नहीं हो सका। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2020) और अवगत कराया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है।

(iv) 31 लाभार्थियों ने भूमि विवाद, बजरी की अनुपलब्धता, निधि की कमी, लाभार्थी द्वारा आवास निर्माण की अनिच्छा आदि कारणों से अपने आवासों का निर्माण नहीं किया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2020) और अवगत कराया कि एक आवास पूर्ण कर लिया गया (जिला परिषद बीकानेर), छः आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है (जिला परिषद जोधपुर: 04 और जिला परिषद बीकानेर: 02) और शेष प्रकरणों के लिए प्रयास किए जा रहे थे। हालांकि, राज्य सरकार ने दावा किया कि राज्य में निर्माण सामग्री/स्वनिजों की प्रचुर उपलब्धता के कारण सामग्री बैंक स्थापित नहीं किए गए थे, परन्तु पंचायत समिति दौसा में दो ऐसे प्रकरण (2.9 प्रतिशत) थे, जहाँ लाभार्थियों ने कहा था कि बजरी न मिलने के कारण वे अपने आवासों का निर्माण करने में असमर्थ थे।

इस प्रकार भौतिक सत्यापन का महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह रहा कि काफी संख्या में लोग (31.02 प्रतिशत) योजनान्तर्गत निर्मित पक्के आवासों में नहीं रह रहे थे। यह लोगों के व्यवहार में परिवर्तन की कमी के साथ-साथ आईईसी¹⁸ गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक व्यवहार में वांछित परिवर्तन सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की विफलता की ओर इंगित करता है।

¹⁸ सूचना, शिक्षा और संचार

अनुशंसा 5:

चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान बताई गई कमियां व्याख्यात्मक हैं और चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित है, इसलिए सरकार को पूरे राज्य में ऐसी कमियों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी भूमिहीन लाभार्थियों को योजना के तहत आवास उपलब्ध करा दिए जाएं।

2.1.8 अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण


आवास निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा अन्य मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए, केंद्र और राज्य दोनों की मौजूदा योजनाओं जिसमें शौचालय का निर्माण, मनरेगा योजना में 90 मानव दिवस का सहयोग, पेयजल, विद्युत कनेक्शन, स्वच्छ एवं अधिक उन्नत रसोई ईंधन आदि सम्मिलित है, के साथ अभिसरण किये जाने की आवश्यकता है।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पूर्ण आवासों में उपलब्ध पाई गई विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की स्थिति तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5: नमूना जाँच किये गए पूर्ण आवासों में अभिसरण की स्थिति

जिला	ब्लॉक	ग्राम पंचायतों की संख्या	जाँच किये गए पूर्ण आवासों की संख्या	शौचालय के साथ आवास	सुरक्षित पीने के पानी तक पहुंच	बिजली कनेक्शन	एलपीजी कनेक्शन	अन्य सुविधाएं (सड़क संपर्क) का अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण
बारां	बारां	5	50	40	42	17	33	48
बीकानेर	नोसा	7	70	22	63	32	49	40
भरतपुर	कुम्हेर	7	70	41	68	33	50	68
दौसा	दौसा	6	60	36	60	27	50	34
जोधपुर	फलौदी	6	60	10	42	25	43	33
	मंडोर	7	70	17	59	21	39	42
टोंक	निवाई	8	80	65	67	28	58	71
उदयपुर	गिर्वा	7	70	40	61	33	47	50
	सलुम्बर	6	60	29	55	16	30	39
योग		59	590	300	517	232	399	425
आवश्यकता				590	590	590	590	590
कमी (% में)				49.15	12.37	60.68	32.37	27.97

स्रोत: सर्वेक्षण प्रारूपों के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी



पीएमएवाई-जी का अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के मुद्दों की चर्चा अगले अनुच्छेदों में की गई है।

2.1.8.1 शौचालय निर्माण का अभाव

शौचालय निर्माण को पीएमएवाई-जी आवास का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), मनरेगा या अन्य किसी समर्पित वित्त स्रोत से निधि देकर शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा सूचित किया गया (जुलाई 2019) कि 6,36,192 पूर्ण आवासों में से केवल 36,794 (5.78 प्रतिशत) लाभार्थियों को एसबीएम-जी एवं मनरेगा के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 590 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा ने पाया कि 290 आवासों (49.15 प्रतिशत) में शौचालय नहीं थे, जबकि आवास 'पूर्ण' दर्शाए गए थे (तालिका 5 देखें)।

फ्रेमवर्क के अनुसार, शौचालय के निर्माण के बाद ही आवास को 'पूर्ण' माना जाएगा। संयोगवश, राजस्थान को 12 अप्रैल 2018 को 'स्कुले में शौचमुक्त' (ओडीएफ) राज्य घोषित कर दिया गया था। शौचालयों की कमी वाले पक्के आवासों का एक बड़ा प्रतिशत, राज्य के ओडीएफ स्टेटस के साथ-साथ आंकड़ों की सटीकता पर संदेह पैदा करता है। समापन परिचर्चा में विभाग ने बताया कि एसबीएम के माध्यम से शौचालयों का दायरा बढ़ाया जा रहा है।

2.1.8.2 सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता

पीएमएवाई-जी के लाभार्थी को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) या अन्य किसी समान योजना के साथ अभिसरण कर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 6,52,619 पूर्ण आवासों में से केवल 2,26,031 (34.63 प्रतिशत) लाभार्थियों को नवंबर 2019 तक सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया।

590 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 517 आवासों (87.63 प्रतिशत) में अभिसरण या उनकी स्वयं की व्यवस्था¹⁹ से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया, जिसमें से केवल 26 आवासों में पाइप द्वारा जल की आपूर्ति की गई थी। शेष 73 आवासों (12.37 प्रतिशत) में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता में कठिनाई आ रही थी (तालिका 5 देखें)।

¹⁹ नलकूप, हैंडपंप, सार्वजनिक स्टैंड पोस्ट (पीएसपी), पानी के टैंकर और टांका आदि।

2.1.8.3 लाभार्थी के आवासों में विद्युत कनेक्शन

फ्रेमवर्क में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी आवासों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के लिए विद्युत मंत्रालय की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) एवं अन्य संबंधित योजनाओं²⁰ के साथ अभिसरण किया जाना प्रस्तावित था।

विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार, 6,52,619 पूर्ण आवासों में से केवल 2,98,361 (45.72 प्रतिशत) लाभार्थियों को नवंबर 2019 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।

यद्यपि, 590 पूर्ण आवासों के एक संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि केवल 232 आवासों (39.32 प्रतिशत) में अभिसरण या उनकी स्वयं की व्यवस्था²¹ के माध्यम से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे। इस प्रकार, 358 निर्मित आवास (60.68 प्रतिशत) बिना विद्युत कनेक्शन के रहे। (तालिका 5 देखें)।

इस प्रकार, अधिसंख्य पक्के आवासों का बिना विद्युत कनेक्शन के रहना अभिसरण की कमी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बेहतर क्रियान्वयन की आवश्यकता को दर्शाता है।

2.1.8.4 लाभार्थियों के लिए स्वच्छ एवं उन्नत रसोई ईंधन

पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को स्वच्छ एवं उन्नत रसोई ईंधन प्रदान करने के लिए राज्य को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयुवाई) के तहत उनके लिए एलपीजी कनेक्शन दिलाने का प्रयास करना चाहिए।

आवास-सॉफ्ट आंकड़ों के अनुसार, 6,82,495 आवास जो सरदल स्तर तक पूर्ण थे, एलपीजी कनेक्शन के लिए पात्र थे, जिनमें से 3,12,029 लाभार्थियों (45.72 प्रतिशत) के पास एलपीजी कनेक्शन थे एवं शेष 3,70,456 लाभार्थियों (54.28 प्रतिशत) को अभी तक एलपीजी कनेक्शन नहीं मिला था।

590 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी पुष्टि हुई कि केवल 399 आवासों (67.63 प्रतिशत) को ही एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए एवं 191 (32.37 प्रतिशत) आवासों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं थे (तालिका 5 देखें)।

महिला सशक्तीकरण के दृष्टिकोण से लकड़ी, गोबर के उपले, जीवाश्म ईंधन आदि को जलाने से जुड़े स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय खतरों से बचने के लिए शेष परिवारों में स्वच्छ एवं उन्नत रसोई ईंधन का प्रावधान आवश्यक है और इसलिए इसको उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

²⁰ सौर लालटेन, सोलर होम लाइटिंग सिस्टम, सोलर स्ट्रीट-लाइटिंग सिस्टम, नेशनल बायो-मास कुक स्टोव प्रोग्राम (एनबीपीसी) से लाभार्थी परिवार के लिए खाना पकाने के स्वच्छ ऊर्जा समाधान और राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बायो गैस इकाई के लाभों के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा लागू की गई योजनाएं।

²¹ डीडीयूजीजेवाई /सौभाग्य योजना जैसी सरकारी योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त किए बिना विद्युत कनेक्शन।

2.1.8.5 समूह/व्यक्तिगत सुविधाओं का विकास

राज्य, मनरेगा से अभिसरण द्वारा पीएमएवाई-जी लाभार्थियों के लिए आवास स्थल विकसित करना, जैव-बाड़ लगाने, पक्के रास्ते, संपर्क सड़के या आवासों की सीढीयाँ, भू-संरक्षण एवं बचाव कार्य आदि जैसी समूह/व्यक्तिगत सुविधाएं विकसित कर सकते हैं।

590 पूर्ण आवासों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि 425 आवासों (72.03 प्रतिशत) में सड़क संपर्क था, तथापि 165 आवासों (27.97 प्रतिशत) में नवंबर 2019 तक सड़क संपर्क की आवश्यकता थी (तालिका 5 देखें)।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मई 2020) कि अभिसरण के तहत लाभ संबंधित योजना के तहत पात्रता के आधार पर दिए जा रहे थे एवं इस संबंध में समय-समय पर जिलों को निर्देशित किया गया था।

राज्य सरकार के उत्तर को इस परिपेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि अभिसरण पीएमएवाई-जी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और लेखापरीक्षा के दौरान अभिसरण में महत्वपूर्ण कमियों को देखा गया।

2.1.8.6 मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रम के मानव-दिवस

क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 8.1 (ब) के अनुसार, पीएमएवाई-जी के लाभार्थी को उसके आवास निर्माण के लिए मनरेगा के साथ अभिसरण कर, वर्तमान दर पर 90 श्रम-दिवस की अकुशल मजदूरी के रोजगार की सहायता प्रदान करना अनिवार्य हैं। दो एमआईएस डेटाबेस, पीएमएवाई-जी के आवास-सॉफ्ट एवं मनरेगा के नरेगा-सॉफ्ट के बीच सर्वर से सर्वर एकीकरण इस प्रकार विकसित किया गया है कि आवास-सॉफ्ट पर आवास की स्वीकृति जारी होते ही नरेगा-सॉफ्ट पर आवास के निर्माण के लिए कार्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है।

अवधि 2016-19 के दौरान मनरेगा के तहत प्रदान किए गए मानव दिवस एवं भुगतान की गई मजदूरी को तालिका 6 में दिया गया है।

तालिका 6: मानव-दिवस एवं मजदूरी की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत आवास	कार्य निर्माण के लिए अनुरोध	सृजित किए गए कार्य की संख्या	लाभार्थियों द्वारा मानव-दिवसों का उपयोग	मानदंडों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले मानव-दिवसों की संख्या	लाभार्थियों को वास्तव में प्रदान मानव-दिवस	लाभार्थी जिनको मजदूरी का भुगतान किया	मजदूरी का भुगतान (₹ करोड़ में)
(अ)	(ब)	(स)	(द)	(य)	(र)=(य) x90	(ल)	(व)	(ट)
2016-17	2,50,087	2,50,080	2,48,284	2,41,033	216,92,970	183,70,005	2,40,502	335.24
2017-18	2,23,081	2,23,066	2,09,559	2,12,112	190,90,080	161,21,895	2,10,888	299.75
2018-19	2,13,094	2,13,043	2,13,040	1,96,364	176,72,760	142,75,223	1,95,777	268.23
योग	6,86,262	6,86,189	6,70,883	6,49,509	584,55,810	487,67,123	6,47,167	903.22

स्रोत: आवास-सॉफ्ट वेबसाइट डेटा, दिनांक 21 नवंबर 2019

यह उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि:

- लाभार्थियों को स्वीकृत कुल 6,86,262 आवासों में से केवल 6,86,189 लाभार्थियों के संबंध में कार्य सृजन के लिए अनुरोध भेजा गया था।

- मनरेगा में कार्य के लिए कुल 6,86,189 अनुरोध के विरुद्ध 6,70,883 लाभार्थियों के लिए कार्य सृजित किया गया, जिसमें से 6,49,509 लाभार्थियों को वास्तविक कार्य प्रदान किया गया। इस प्रकार, 36,680 (5.34 प्रतिशत) लाभार्थियों को पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण हेतु मनरेगा के माध्यम से कार्य नहीं दिया गया।
- इसके अलावा कुल 6,49,509 लाभार्थी जिनको कार्य प्रदान किया गया था में से 6,47,167 लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान किया गया। इस प्रकार, 2,342 लाभार्थियों (य-व) की मजदूरी का भुगतान नवंबर 2019 तक किया जाना शेष था।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि 90 दिवसों के प्रावधान के विरुद्ध, पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु औसतन 75.08 मानव-दिवस (487.67 लाख मानव-दिवस/6,49,509 लाभार्थी) प्रदान किए गए, जिसके परिणामस्वरूप प्रति लाभार्थी औसतन 14.92 मानव-दिवसों की कमी रही। इससे लाभार्थियों को 96.89 लाख²² अतिरिक्त मानव-दिवसों की आजीविका कमाने के अवसर से वंचित होना पड़ा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मई 2020) कि अब स्वण्ड विकास अधिकारियों एवं अन्य संबंधित कार्मिकों को निर्धारित मानव-दिवसों के प्रावधान में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लाभार्थियों को मनरेगा के अनिवार्य मानव-दिवस प्रदान नहीं करने के मुद्दे पर की गई कार्यवाहियों की लेखापरीक्षा द्वारा भविष्य में जाँच की जावेगी।

राजस्थान राज्य ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से वर्ष 2017-18 के लिए अभिसरण श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर प्रशंसा पत्र प्राप्त किया। तथापि, लेखापरीक्षा का मानना है कि आधारभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, बिजली, एलपीजी कनेक्शन आदि उपलब्ध करवाने के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण पीएमएवाई-जी की प्रमुख विशेषता है और यह भी तथ्य है कि अभिसरण की कमी आईएवाई के प्रभावों को कम करने वाले कारकों में से एक थी। इसके अलावा, विभाग के पास स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित लाभार्थियों के बीच सुविधाओं की कमी से संबंधित समेकित जानकारी नहीं थी और इस लिए योजनाओं के साथ निर्धारित सीमा तक जरूरी अभिसरण नहीं किया जा सका।

अनुशंसा 6:

राज्य सरकार अन्य सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित सभी आवासों में आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ठोस प्रयास कर सकती हैं।

2.1.9 क्रियान्वयन सहायता तंत्र का अभाव

क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 7.3.1 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि लाभार्थी को आवास के निर्माण की प्रक्रिया में अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान किया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवासों का निर्माण पूरा हो गया है बारीकी से निगरानी

²² लाभार्थियों की संख्या = 6,49,509,

प्रति लाभार्थी आवास, नियमानुसार अधिकृत मानवदिवस = 90

अतः 6,49,509 लाभार्थियों के लिए नियमानुसार मानवदिवस (ए) = 5,84,55,810

वास्तविक प्रदान किए गए मानवदिवस (बी) = 4,87,67,123, अंतर (ए-बी) = 96,88,687

भी की जाए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र क्रियान्वयन, अनुश्रवण और निर्माण की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण का कार्य करने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित करेंगे। पीएमयू को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना मई 2018 में दो साल की देरी से की गई थी, जबकि नमूना जांच किये 7 जिलों एवं 9 ब्लॉकों में से किसी में भी जिला/ब्लॉक स्तर पर पीएमयू की स्थापना नहीं की गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2020) कि राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) की स्थापना की गई थी, यद्यपि एसपीएमयू की स्थापना में देरी के कारणों को सूचित नहीं किया गया। यह भी सूचित किया (मई 2020) कि डीपीएमयू नियमित विभागीय कर्मचारियों के साथ काम कर रही थी, तथापि, डीपीएमयू की स्थापना की पुष्टि करने वाले प्रासंगिक अभिलेख प्रदान नहीं किए गए जिससे लेखापरीक्षा डीपीएमयू की स्थापना एवं उसके उचित कार्यकलापों को सत्यापित नहीं कर सका। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना न करने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए विभाग ने अवगत कराया कि अन्य योजना के क्रियान्वयन में लगे स्थायी कर्मचारियों द्वारा कार्य का निर्वहन किया जा रहा है।

कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों की स्थापना में कमियों ने योजना के क्रियान्वयन में स्वामियों जैसे स्थायी प्रतीक्षा सूची से वार्षिक चयन सूची तैयार न करना, अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में कमी, लाभार्थियों के संवेदीकरण के लिए पहल की कमी, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का अपर्याप्त आवंटन आदि, में योगदान दिया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य 3: क्या वित्तीय प्रबंधन और योजना के अनुश्रवण और मूल्यांकन का तंत्र योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार थे

2.1.10 वित्तीय प्रबंधन

राज्य को केंद्रीय आवंटन 50 प्रतिशत प्रत्येक की दो किस्तों में जारी किया जाना था। इसमें प्रशासनिक व्यय के लिए 4 प्रतिशत आवंटन भी शामिल था। 2016-19 के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्य में प्राप्त हुई कुल निधियों एवं किए गए व्यय का विवरण तालिका 7 में दिया गया है।

तालिका 7: आवासों के निर्माण के लिए निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कार्यक्रम निधि					प्रशासनिक निधि			
	केंद्रीय अंश	राज्य अंश	अन्य प्राप्त (ब्याज)	कुल प्राप्त निधि	व्यय	केंद्रीय अंश	राज्य अंश	कुल प्राप्त निधि	व्यय
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8	9 (7+8)	10
2016-17	1,801.86	96.15	14.80	1912.81	346.43	72.08	3.85	75.93	4.02
2017-18	1,610.14	1,641.80	10.05	3261.99	4200.38	32.20	54.13	86.33	11.25
2018-19	1,535.06	1,048.40	6.58	2590.04	3163.50	0	11.54	11.54	21.93
योग	4,947.06	2,786.35	31.43	7,764.84	7,710.31 (99.30 प्रतिशत)	104.28	69.52	173.80	37.20 (21.40 प्रतिशत)

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- कार्यक्रम निधि (आवासों के निर्माण के लिए) के तहत, कुल उपलब्ध राशि ₹ 7,764.84 करोड़ में से राज्य द्वारा ₹ 7,710.31 करोड़ (99.30 प्रतिशत) की आर्थिक सहायता लाभार्थियों को वितरित की गई, जो प्रशंसनीय है।
- प्रशासनिक निधि के तहत, राज्य में मार्च 2019 तक ₹ 37.20 करोड़ (21.40 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2017-18 की दूसरी किस्त और 2018-19 की दोनों किस्तों का दोनों सरकारों केंद्र (₹ 93.61 करोड़) तथा राज्य (₹ 62.40 करोड़) से वितरण नहीं हुआ।

प्रशासनिक निधियों के अल्प उपयोग से योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों 2.1.7.3, 2.1.7.4 एवं 2.1.9 में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया गया (मई 2020)।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने वित्तीय प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कमियां भी पाईं।

- भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृतियों में विहित 3 दिन की निर्धारित सीमा से परे राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अंश को राज्य नोडल स्वाते में 20 से 143 दिन के विलम्ब से हस्तांतरित किया गया था। इस प्रकार प्राप्त निधियों को राज्य नोडल स्वाते में हस्तांतरण तक राज्य की संचित निधि में रखा गया।
- 2016-19 के दौरान, पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 10.6 में निर्धारित 15 दिनों की समयावधि के विरुद्ध, राज्य सरकार ने केंद्रीय अंश के प्राप्त होने के 59 से 287 दिनों के विलम्ब से अपना समतुल्य पूर्ण अंश जारी किया।

राज्य सरकार ने सूचित किया (मई 2020) कि आवश्यकता के आधार पर पीडी स्वाते से राज्य नोडल स्वाते में निधियों का हस्तांतरण वित्त विभाग के निर्देशों पर किया जाता है। तथापि, केंद्रीय अंश एवं राज्य अंश दोनों का राज्य नोडल स्वाते में हस्तांतरण निर्धारित समय सीमा में होना चाहिए क्योंकि इसमें विलम्ब होने से लाभार्थियों को किस्त जारी करने में विलम्ब होता है और योजना का क्रियान्वयन बाधित होता है।

- नमूना जाँच किये गए 590 लाभार्थियों में से 407 लाभार्थियों (68.98 प्रतिशत) को पहली किस्त सात कार्य दिवसों के मानक के विपरीत, 2 से 332 दिनों के विलम्ब से उपलब्ध कराई गई। एक विशिष्ट प्रकरण²³ में 778 दिनों का विलम्ब पाया गया। इन प्रकरणों में अवधि अनुसार विलम्ब का विवरण तालिका 8 में दिया गया है।

²³ ग्राम पंचायत उगरस: (लाभार्थी आईडी आरजे 1803965), स्वीकृति दिनांक 10 अप्रैल 2017 की पहली किस्त 04 जून 2019 को जारी की गई।

तालिका 8: विलंबित भुगतान

दिनों में देरी	30 दिन तक	31-90 दिन	90 दिनों से अधिक	कुल प्रकरण
प्रकरणों की संख्या	201 (49 प्रतिशत)	158 (39 प्रतिशत)	48 (12 प्रतिशत)	407

इस प्रकार, केंद्रीय अंश एवं राज्य अंश का हस्तान्तरण/जारी करने में विलम्ब ने लाभार्थियों को देय किस्तों को जारी करने में भी देरी के लिए योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप आवासों का समय पर पूर्ण होना प्रभावित हुआ जैसा कि पूर्व अनुच्छेद 2.1.7.3 में चर्चा की गई है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2020) कि इस संबंध में संबंधित जिला परिषदों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

- राज्य स्तर पर प्रशासनिक निधि पृथक बचत बैंक खाते के बजाए ब्याजरहित व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाते में रखी जा रही थी। इसके अतिरिक्त, योजना दिशानिर्देशों के विपरीत इस खाते से जिलों में निधि का हस्तांतरण एफटीओ के बजाय कोषागारों के माध्यम से किया जा रहा था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (फरवरी 2020) कि प्रशासनिक निधि को रखने के लिए बचत खाता खोला जाना प्रक्रियाधीन है।

- 01 अप्रैल 2018 को बैलेंस शीट के अनुसार योजना निधि के प्रारंभिक शेष (₹ 0.99 करोड़²⁴) और अवास-सॉफ्ट में दर्शाए गए शेष (- ₹ 94.03 करोड़) के बीच (-) ₹ 95.02 करोड़ रुपये का अंतर था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2019 को बैलेंस शीट के अनुसार योजना निधि के अंतिम शेष (₹ 70.61 करोड़²⁵) और अवास-सॉफ्ट में दर्शाए गए शेष (₹ 131.68 करोड़) के बीच ₹ 61.07 करोड़ का अंतर था। इसके अलावा, अवास-सॉफ्ट में 2018-19 के अंतिम शेष (₹ 131.68 करोड़) और 2019-20 के प्रारंभिक शेष (₹ 98.62 करोड़) में भी ₹ 33.06 करोड़ का अंतर और देखा गया।

राज्य सरकार ने तथ्यों (मार्च 2020) को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि अवास-सॉफ्ट में आईएवाई और पीएमएवाई-जी दोनों के भुगतान एक ही खाते से किए जा रहे हैं, जिससे अंक मिलान कठिन हो जाता है क्योंकि आईएवाई और पीएमएवाई-जी के FTO अलग से परिलक्षित नहीं होते हैं। इसके अलावा, वर्ष के अंत में प्रक्रियाधीन भुगतान के बारे में रिपोर्ट की अनुपलब्धता और फाल्स सक्सेस/फाल्स रिजेक्ट मामलों की कटऑफ तिथि वार रिपोर्ट भी अंक मिलान को कठिन बनाती है।

2.1.11 लाभार्थियों को एक ही किस्त का दोहरा भुगतान

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 439 प्रकरणों में लाभार्थियों को एक ही किस्त का दो बार भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.24 करोड़ का दोहरा भुगतान हो गया। ऐसे प्रकरणों का विवरण तालिका 9 में दिया गया है।

²⁴ कार्यक्रम निधि: शून्य (एसएनए में रखी गई) और प्रशासनिक निधि: ₹ 0.99 करोड़ (पीडी खाते में रखी गई)।

²⁵ कार्यक्रम निधि: ₹ 54.53 करोड़ (एसएनए में रखी गई) और प्रशासनिक निधि: ₹ 16.08 करोड़ (पीडी खाते में रखी गई)।

तालिका 9: दोहरा भुगतान

(₹ लाख में)

वर्ष	पहली किस्त का दोहरा भुगतान		दूसरी किस्त का दोहरा भुगतान		तीसरी किस्त का दोहरा भुगतान		दोहरे भुगतान की कुल राशि	
	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गई अतिरिक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गई अतिरिक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गई अतिरिक्त राशि	लाभार्थियों की संख्या	भुगतान की गई अतिरिक्त राशि
	2016-17	20	6.00	302	181.20	90	27	412
2017-18	18	5.40	0	0	0	0	18	5.40
2018-19	01	0.30	8	3.84	0	0	09	4.14
योग	39	11.70	310	185.04	90	27	439	223.74

स्रोत: 9 नवंबर 2019 को आवास-सॉफ्ट से एकत्रित की गई जानकारी

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मई 2020) कि 439 प्रकरणों में से 175 में वसूली हो चुकी थी एवं शेष प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही जारी है।

2.1.12 पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थियों की सीधे लाभ हस्तांतरण के फाल्स सक्सेस/फाल्स रिजेक्ट प्रकरण

पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जुड़े राज्य नोडल स्वाते के माध्यम से किया जा रहा है। आवास-सॉफ्ट पर उपलब्ध पीएफएमएस रिपोर्ट की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि फाल्स सक्सेस के प्रकरण थे जिसमें सॉफ्टवेयर भुगतान को सफल दिखा रहा था जबकि किस्त लाभार्थी के बैंक स्वाते में जमा नहीं हुई। इसी प्रकार फाल्स रिजेक्ट प्रकरण थे जिसमें सॉफ्टवेयर भुगतान को असफल दिखा रहा था जबकि किस्त लाभार्थी के बैंक स्वाते में जमा हो गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 89.20 करोड़ के 19,188²⁶ फाल्स सक्सेस के प्रकरणों में से विभाग द्वारा केवल 9,369 (48.8 प्रतिशत) प्रकरणों का मिलान किया जा सका। इस प्रकार, जनवरी, 2020 तक फाल्स सक्सेस के 9,819 मिलान न किये गए प्रकरण लाभार्थियों को राशि ₹ 42.98 करोड़ के भुगतान के लिए लंबित थे।

इसी प्रकार, ₹ 63 करोड़ का लाभार्थियों को संभावित अधिक भुगतान के 15,597²⁷ मिलान न किये गए फाल्स रिजेक्ट प्रकरण थे, जिसमें से केवल 30 प्रकरण (0.19 प्रतिशत) मिलान किये गए एवं जनवरी 2020 तक ₹ 62.83 करोड़ के संभावित अधिक भुगतान के 15,567 प्रकरण लंबित थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मई 2020) कि वर्तमान में फाल्स सक्सेस के 61 प्रकरण एवं फाल्स रिजेक्ट के 786 प्रकरण लंबित थे। आवास-सॉफ्ट में प्रदर्शित किये जा रहे अधिक आंकड़े गलती से पंजीकृत हो गए हैं एवं इसके निराकरण के लिए ग्राविमं को अनुरोध किया गया है। इस उत्तर को इस परिपेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है कि आवास-सॉफ्ट की 21

²⁶ फाल्स सक्सेस की पहचान = 19,188 (राशि = ₹ 89.20 करोड़), प्राप्त सही प्रतिक्रिया = 9,369 (राशि = ₹ 46.22 करोड़)

²⁷ फाल्स रिजेक्ट की पहचान = 15,597 (राशि = ₹ 63 करोड़), प्राप्त सही प्रतिक्रिया = 30 (राशि = ₹ 0.17 करोड़)

मई 2020 की रिपोर्ट के अनुसार फाल्स सक्सेस के 9,763 प्रकरणों एवं फाल्स रिजेक्ट के 17,344 प्रकरणों में अंक मिलान नहीं किया गया।

इसके अलावा, इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि फाल्स सक्सेस/ फाल्स रिजेक्ट के प्रकरण एवं उनसे संबंधित मिलान न की गई महत्वपूर्ण राशि को इस योजना के सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा सम्बंधित वर्षों के अंकेषण प्रतिवेदन में चिह्नित नहीं किया गया था।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (मार्च 2020) कि सनदी लेखाकार के अंकेषण प्रतिवेदन पर फाल्स सक्सेस/ फाल्स रिजेक्ट मामलों का कोई प्रभाव नहीं होता। क्योंकि लेखा नकद आधार पर तैयार किए जाते हैं।

जवाब तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि इस प्रकार के प्रकरणों का घटित होना एवं उनका प्रभूत रूप से अपर्याप्त अंक मिलान किया जाना आंतरिक नियंत्रण की विफलता को दर्शाता है।

2.1.13 सनदी लेखाकार (सीए) अंकेषण प्रतिवेदन में अनियमितताएं

(i) अंकेषण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलंब

राज्य को सुनिश्चित करना था कि पीएमएवाई-जी के लेखों का राज्य स्तर पर एवं प्रशासनिक निधि स्वाते की राज्य एवं जिला स्तर पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित पैनल से चयनित सीए द्वारा अंकेषण किया जाए। अंकेषण अगले वित्त वर्ष के 31 अगस्त से पहले पूर्ण की जानी चाहिए थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि:

- **राज्य स्तर पर:** वर्ष 2016-17 के लिए अंकेषण प्रतिवेदन 218 दिन के विलम्ब से अप्रैल 2018 में तैयार की गई। वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के अंकेषण प्रतिवेदन तैयार कर दिए गए थे परन्तु, सीए द्वारा प्रतिवेदनों पर कोई दिनांक अंकित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (मार्च 2020), सूचित किया कि 2016-17 के लिए सीए अंकेषण प्रतिवेदन में आवासीय एवं प्रशासनिक निधि की पृथक-पृथक प्रतिवेदन तैयार करने के कारण विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2017-18 की सीए अंकेषण प्रतिवेदन, 28 सितंबर 2018 को तैयार की गई एवं वर्ष 2018-19 की सीए अंकेषण प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की तिथि सूचित नहीं की गई। इसमें आगे बताया गया कि विभागीय समिति के निर्णयानुसार सीए फर्म हेतु निविदा आमंत्रित करने के कारण प्रतिवेदन समय पर तैयार नहीं हो पाया।

- **जिला स्तर पर:** सात नमूना जाँच किये गये जिलों में, वित्तीय वर्ष 2016-19 के लेखे तैयार करने में 20 से 266 दिनों का विलम्ब रहा।

(ii) सीए फर्म जिसने राज्य स्तर पर अंकेषण प्रतिवेदन 2016-17 को अंतिम रूप दिया था, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पैनल में शामिल नहीं थी। यह भी देखा गया कि तीन वर्षों तक जिन सीए फर्मों ने नमूना जाँच किये गये सात जिलों में लेखों का अंकेषण किया था, वे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार पैनल में सम्मिलित नहीं थे।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2020) कि अब पैनल में सम्मिलित फर्मों को ही अंकेषण कार्य के लिए नियुक्त किया गया है।

(iii) यह भी देखा गया कि योजना की आंतरिक अंकेषण का संचालन करने वाली सीए फर्म अनियमितताओं जैसे फाल्स सक्सेस/फाल्स रिजेक्ट प्रकरण, आवास-सॉफ्ट के साथ योजना स्वातों के शेष के मिलान, प्रशासनिक निधि के लिए बचत स्वातों की बजाए पीडी स्वातों के संधारण आदि को उजागर करने में विफल रही।

अनुशंसा 7:

राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों की बेहतर गुणवत्ता एवं अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने हेतु अपने अंश को समय पर जारी करने एवं प्रशासनिक निधि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित कर सकती है।

2.1.14 अनुश्रवण और निरीक्षण

2.1.14.1 जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 9.3.2 के अनुसार, राज्य विभिन्न स्तरों पर योजना के क्रियान्वयन और गुणवत्ता पर्यवेक्षण का अनुश्रवण करेगा।

प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपस्थिति के कारण, लेखापरीक्षा यह पता नहीं कर सकी कि नमूना जांच किये गए 7 जिलों और 9 ब्लॉकों में किसी में भी निर्धारित निरीक्षण किये गए थे।

राज्य सरकार ने बताया (मई 2020) कि निरीक्षण किए जा रहे हैं और निरीक्षणों के बारे में सूचना प्रवाह, व्हाट्सएप समूहों, के माध्यम से हो रहा है, जो इस उद्देश्य से बनाए गए हैं, हार्ड प्रति का संधारण नहीं किया जा रहा है। आधिकारिक प्राधिकार के बिना इस तरह के अभ्यास व प्रासंगिक अभिलेखों की कमी के कारण राज्य सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, लेखापरीक्षा यह पता नहीं लगा सकी कि क्या फ्रेमवर्क में निर्धारित सीमा तक के निरीक्षण किए गए थे और क्रियान्वयन में कमियों की पहचान की गई थी।

इस प्रकार, निरीक्षणों की गुणवत्ता और संख्या में कमियों के कारण, लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियां जैसे अभिसरण में कमी, आवास-सॉफ्ट पर अपूर्ण आवासों को पूर्ण दर्शाना, लोगों का आवासों में नहीं रहना, आवास की जगह अन्य संरचनाओं का निर्माण आदि ध्यान में आने से रह गई।

अनुशंसा 8:

राज्य सरकार योजना के क्रियान्वयन में सुधार और किसी भी कमी को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित निरीक्षणों का समय पर और नियमित संचालन सुनिश्चित कर सकती है।

2.1.14.2 सामाजिक अंकेक्षण

फ्रेमवर्क के अनुच्छेद 9.6 के अनुसार, पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के मूल उद्देश्य के साथ सामाजिक अंकेक्षण वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में कराई जाए, जिसमें सभी पहलुओं की अनिवार्य समीक्षा शामिल होगी।

- (i) लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीएमएवाई-जी के सन्दर्भ में 2016-19 की अवधि के दौरान सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करने में 7.47 प्रतिशत की समग्र कमी थी। (तालिका 10)

तालिका 10: सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति

वर्ष	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें सामाजिक अंकेक्षण की गई	कमी (प्रतिशत)
2016-17	9,894	9,361	533 (5.39)
2017-18	9,894	9,244	650 (6.57)
2018-19	9,894	8,859	1,035 (10.46)
योग	29,682	27,464	2,218 (7.47)

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी

- (ii) पीएमएवाई-जी के तहत बनाए गए आवासों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कुछ कमियाँ जैसे कि बिजली, रसोई गैस, सुरक्षित पेयजल की पहुँच आदि सुविधाओं का प्रावधान नहीं किया जाना, सामाजिक अंकेक्षण में उजागर नहीं की जा सकी।
- (iii) **ग्राम सभा की कार्यवाही को वेबसाइट पर अपलोड न करना:-** फ्रेमवर्क के अनुसार ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियो-ग्राफी किया जाना, जिसे उपयुक्त रूप से संकुचित किया जाना और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य था। हालाँकि, नमूना जांच की गई 46 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण आयोजित किया गया परन्तु ग्राम सभा कार्यवाही की वीडियो-ग्राफी नहीं की गई। पंचायत समिति मंडोर तथा फलोदी ने बताया कि ब्लॉक में कोई सामाजिक अंकेक्षण आयोजित नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने बताया (फरवरी 2020) कि इस संबंध में सूचना सामाजिक अंकेक्षण विभाग से मांगी जा रही थी।

2.1.14.3 शिकायत निवारण तंत्र

फ्रेमवर्क के अनुसार, प्रशासन के विभिन्न स्तरों अर्थात् ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य पर एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा।

- (i) **राज्य स्तर पर:** 2016-19 की अवधि के दौरान राज्य स्तर पर कुल 3264 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1503 शिकायतों का निपटान किया गया और 1761 शिकायतों (53.95 प्रतिशत) का निपटान लंबित था। इसके अतिरिक्त, उक्त शिकायतों की 27 सितंबर 2019 तक लम्बित अवधि 6 महीने से लेकर 32 महीने के बीच थी।
- (ii) **जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत पर:** पंचायत समिति निवाई के अतिरिक्त समस्त नमूना जाँच किये गये जिलों एवं ब्लॉकों में पीएमएवाई-जी से सम्बंधित शिकायत पंजिकाएं संधारित

नहीं की गई। नमूना जाँच किये गये 59 में से 52 ग्राम पंचायतों में शिकायत पंजिकाएं संधारित नहीं की गई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मार्च 2020) कि जिलों और ब्लॉकों के स्तरों पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठों के गठन के लिए जिलों को निर्देश (दिसम्बर 2019) दिया गया था। राज्य स्तर की शिकायतों की लम्बित रहने के बारे में, राज्य सरकार ने (मई 2020) सभी शिकायतों के निपटान में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के बारे में सूचित किया कि अधिकांश शिकायतें सूची में नामों को सम्मिलित करने से संबंधित थी, जो तुरंत संभव नहीं थी।

2.1.15 निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आवासहीन परिवारों, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में निवास करने वाले सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों को आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर तीन किस्तों में राशि ₹ 1.20 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी।

लाभार्थियों की पहचान में कमियों के कारण, 40.57 लाख में से केवल 16.99 लाख लाभार्थियों की पहचान समय से की गई थी। इस प्रकार, योजना केवल 41.88 प्रतिशत वांछित लाभार्थियों को दी गई जिन्हें योजना के कई लाभों से वंचित रखा गया तथा 'सभी के लिए आवास' के दृष्टिकोण की अनदेखी की गई। 2016-17 से 2018-19 के दौरान 6.87 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध नवम्बर 2019 तक 6.50 लाख (95 प्रतिशत) आवास पूर्ण किये गए। यद्यपि, राज्य सरकार लक्ष्यों को बहुत हद तक प्राप्त कर सकी किन्तु योजना का क्रियान्वयन कमियों से परिपूर्ण था। निर्मित आवासों के उपयोग की नमूना जांच में पाया गया कि 31.02 प्रतिशत निर्मित आवास खाली रह गए। इसके अलावा, विशेष रूप से, सामाजिक-आर्थिक रूप से 'भूमिहीन' एवं 'दिव्यांग व्यक्तियों' की श्रेणियों से सम्बंधित लाभार्थियों को योजना का लाभ निर्धारित सीमा तक नहीं दिया जा सका। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के क्षेत्र में कमियां पायी गई एवं निर्धारित मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ स्वाना पकाने के ईंधन आदि को पूर्ण आवासों में उपलब्ध नहीं किया जा सका। प्रशासनिक निधि के न्यून उपयोग ने योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण और निरीक्षण की कमी के कारण क्रियान्वयन में इन कमियों का पता लगाने में विफलता हुई।

चूंकि लेखापरीक्षा के दौरान बताई गई कमियां व्याख्यात्मक हैं और चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित हैं, इसलिए सरकार को पूरे राज्य में ऐसी कमियों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी भूमिहीन लाभार्थियों को योजना के तहत आवास उपलब्ध करा दिए जाएं।

इस प्रकार लेखापरीक्षा में चिन्हित कमियों के आधार पर योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है।

अध्याय III
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय-III अनुपालन लेखा परीक्षा

सरकारी विभागों के लेनदेनों एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी निकायों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा नियमितता, औचित्यता एवं मितव्ययिता के मानकों के अनुपालन में विफलता के मामले उजागर हुए, जिनको वृहद् विषयक शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

कृषि विभाग

3.1 संग्रहालय भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में कार्य पूर्णता के छः वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी नव निर्मित संग्रहालय भवन को उपयोग में नालेने के कारण इस भवन के निर्माण पर ₹ 99.97 लाख का निष्फल व्यय।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय (जिसका नाम स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, एसकेआरएयू किया गया) में शैक्षणिक संग्रहालय भवन के निर्माण के लिए 11 वीं योजना अवधि के दौरान आईसीएआर योजना-“कृषि शिक्षा का विकास एवं सुदृढीकरण” के अंतर्गत अनुमोदन जारी (सितंबर 2009) किया। संग्रहालय भवन की अनुमानित लागत ₹ 140 लाख थी, जिसमें से आईसीएआर इस शर्त पर ₹ 100 लाख देने के लिए सहमत था कि ₹ 100 लाख (आईसीएआर का अंश) के अतिरिक्त व्यय विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा। इस प्रकार, विश्वविद्यालय को संग्रहालय परिचालित करने के लिए ₹ 40 लाख की निधियों की व्यवस्था करनी थी। संग्रहालय में विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किये गये नवाचारों को विभिन्न प्रारूपों जैसे नमूना, पोस्टर, सजीव प्रतिदर्श, साहित्य इत्यादि के रूप में प्रदर्शित किया जाना था। विश्वविद्यालय ने संग्रहालय भवन के सिविल कार्य हेतु कार्य पूर्णता की तिथि फरवरी 2011 निर्धारित करते हुए ₹ 67.29 लाख का कार्यादेश जारी किया (जनवरी 2010)। कार्य फरवरी 2011 में पूर्ण कर दिया गया, जिसके लिए संवेदक को ₹ 72.67 लाख का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय से संबंधित विद्युत, फर्नीचर एवं कुछ विविध सिविल कार्य अलग से भी निष्पादित किए गए तथा संग्रहालय के कार्यों पर अक्टूबर 2013 तक कुल ₹ 99.97 लाख व्यय हुआ।

एसकेआरएयू, बीकानेर के अभिलेखों की जांच (फरवरी-अप्रैल 2019) में प्रकट हुआ कि संग्रहालय भवन के सिविल, विद्युत एवं फर्नीचर के कार्य अप्रैल 2011 से अक्टूबर 2013 के दौरान पूर्ण कर लिए गए थे लेकिन संग्रहालय भवन की साज-सज्जा का कार्य अप्रैल 2019 तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका। एसकेआरएयू ने संग्रहालय के विकास के लिए अपना अंश प्रदान नहीं किया। इस प्रकार, निर्मित संग्रहालय भवन अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए पाँच वर्ष से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सका तथा संग्रहालय के विभिन्न कार्यों पर किया गया ₹ 99.97 लाख का व्यय निष्फल रहा। समय व्यतीत होने के साथ निर्मित भवन तथा फर्नीचर की दशा में हास हो रहा है जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है:



राजस्थान सरकार (रास) ने बताया (अक्टूबर 2019) कि आईसीएआर द्वारा जारी स्वीकृति में विश्वविद्यालय का अंश प्रदान करने की कोई शर्त नहीं थी। रास ने यह भी बताया कि संग्रहालय को अब संचालित कर दिया गया है।

जवाब तथ्यात्मक रूप से गलत था क्योंकि आईसीएआर के अनुमोदन (सितंबर 2009) में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि ₹ 100 लाख से ऊपर का व्यय विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा। आगे, लेखा परीक्षा द्वारा संग्रहालय के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी पाया गया (नवंबर 2019) कि प्रस्तावित सजीव प्रतिदर्शों, नमूनों तथा कृषि से संबंधित साहित्य की बजाए संग्रहालय में केवल आधुनिक कृषि, उन्नत उत्पादन तथा कीटनाशक से संबंधित बैनर ही लगाए गये थे, जिससे अभिप्रेत उद्देश्य पूर्ण नहीं हुए।

इस प्रकार, संग्रहालय भवन का निर्माण पूर्ण होने के छः वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संग्रहालय को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने के लिए निधियां उपलब्ध कराने में विश्वविद्यालय की विफलता के कारण उसके निर्माण पर किया गया ₹ 99.97 लाख का संपूर्ण व्यय निष्फल रहा।

सहकारिता एवं उद्यान विभाग

3.2 लहसुन के लिए भण्डारण सुविधा की अनुपलब्धता के कारण बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत हानि

भंडारण सुविधाओं की अनुपलब्धता/असृजन के कारण विभाग द्वारा “बाजार हस्तक्षेप योजना” के अंतर्गत खरीदे गए लहसुन को अत्यंत सस्ते दामों पर बेचने की बाध्यता के परिणामस्वरूप ₹ 231.77 करोड़ की हानि।

भारत सरकार (भा.स.) ने कृषि एवं उद्यान विभाग, रा.स. के अवधि 13 अप्रैल 2018 से 12 मई 2018 के दौरान के बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस¹) के अंतर्गत अधिकतम 1.54

¹ एमआईएस बाजार भाव में गिरावट होने पर नाशवान एवं उद्यानिकी उपजों की खरीद हेतु एक मूल्य समर्थन तंत्र है। इसका उद्देश्य भरपूर उत्पादन (उत्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि) एवं उच्चतम आवक अवधि (सैद्धान्तिक दरों में विगत सामान्य वर्ष से 10 प्रतिशत की कमी) होने की स्थिति में जब दरें अत्यधिक निम्न स्तर तक गिर जाती हैं, इन उपजों के उत्पादकों को दबाव ग्रस्त बिक्री से बचाना है।

लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) लहसुन क्रय करने के प्रस्ताव (मार्च 2018) को कुछ निश्चित शर्तों के साथ अनुमोदित (अप्रैल 2018) किया, जैसे (i) बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) ₹ 8,143 प्रति एमटी या वास्तविक जो भी कम हो, के ऊपरी स्वर्चों सहित ₹ 32,570 प्रति एमटी होगा (ii) हानियां यदि कोई हो (क्रय लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित) तो उन्हें केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के मध्य 50: 50 के आधार पर साझा किया जाना था (iii) क्रय किए गए माल को खुदरा बाजार में अधिकतम मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शी रूप से निस्तारित किया जाना था। राज्य की एजेंसी द्वारा भी योजना के अंतर्गत खरीदी गई वस्तुओं के प्रसंस्करण के उपरांत निर्यात हेतु प्रयास किया जाना आवश्यक था। आगे, एमआईएस पर भा.स. का दिशा-निर्देश (2001), राज्य एवं केंद्र सरकार के स्तर पर हानियों को कम करने के लिए एक कुशल विपणन प्रणाली, गैर-पारंपरिक/नवीन बाजारों के विकास तथा खुदरा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से बिक्री को परिकल्पित करता है।

राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (राजफेड) एवं सहकारिता विभाग के अभिलेखों की जांच (जुलाई-नवंबर 2019) में प्रकट हुआ कि कृषि एवं उद्यान विभाग के मध्य एक मीटिंग आयोजित (16 अप्रैल 2018) की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि लहसुन के एक नाशवान उपज होने तथा भंडारण की किसी सुविधा के अभाव के कारण खरीदे गए लहसुन को खरीद के साथ-साथ ही सीधे बाजार में बेचा जावे। तदनुसार, अप्रैल-जुलाई 2018 के दौरान, 0.91 एलएमटी लहसुन जो कि ₹ 310.69 करोड़ की कुल लागत से खरीदा गया था, को ₹ 231.77 करोड़ की हानि के साथ ₹ 78.92 करोड़ पर बेचा गया।

ऐसा ही एक प्रकरण बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत लहसुन की बिक्री में ₹ 6.99 करोड़ की परिहार्य हानि, 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राजस्थान सरकार (रा.स.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) के अनुच्छेद 3.2.2 में सम्मिलित किया गया था। प्रकरण की जांच करने के उपरांत, जन लेखा समिति (पीएसी) ने आवश्यक प्रबंध करने की अनुशंसा की (मई 2017) जिससे भविष्य में इस स्थिति का दोहराव न हो सके। पीएसी की अनुशंसा की अनुपालना में विभाग ने अपनी क्रियान्विति विषयक टिप्पणी में सूचित किया (सितंबर 2018) कि भंडारण की अनुपलब्धता से होने वाली हानि से संबंधित मामला मंत्रिमंडल के ध्यान में लाया जा रहा है।

तथ्य यह है कि लहसुन अपने कटाई के मौसम (अप्रैल-जुलाई) में बाजार में थोक मात्रा में आता है जबकि लहसुन की मांग पूरे वर्ष भर स्थिर रहती है। इस प्रकार, आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन, उपभोग के लिए मूल्य स्थरीकरण तथा कृषकों के लिए मूल्य संवर्धन हेतु लहसुन का भंडारण पूर्ण रूपेण आवश्यक हो जाता है।

तथापि लेखा परीक्षा ने पाया कि पीएसी की अनुशंसा के बाद भी राज्य सरकार ने न तो लहसुन के लिए अपने स्तर पर कोई शीत भंडारण की सुविधा का सृजन किया और न ही किराए पर लेने हेतु निजी शीत भंडारों के साथ कोई अनुबंध किया। भंडारण सुविधा के अभाव में विभाग को लहसुन खरीद के साथ-साथ ही राजस्थान और दिल्ली में ₹ 1,000- ₹ 13,600 प्रति एमटी के अत्यंत कम दामों पर बेचना पड़ा। विभाग ने निर्यात अथवा प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से लहसुन को उच्चतर दामों पर बेचने का विकल्प भी नहीं तलाशा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जून 2020) कि वैज्ञानिक तरीके से लहसुन के भण्डारण के लिए अल्पकालीन निविदाओं के माध्यम से निजी वेंडर्स की व्यवस्था करने के प्रयास किये गए थे (20 अप्रैल 2018) लेकिन कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार ने एमआईएस के अंतर्गत हानि को वहन करने का सुविचारित निर्णय किसानों के कल्याण के क्रम में वित्तीय संबल प्रदान करने हेतु लिया।

उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने राज्य एवं केंद्र सरकार के हिस्से की हानि को रोकने के लिए प्रभावी विपणनकरण प्रणाली, गैर परम्परागत/नये बाज़ार विकसित करने तथा खुदरा केन्द्रों के माध्यम से बिक्री जैसे कदम नहीं उठाये जो कि योजना के दिशानिर्देशों में उल्लेखित है। निजी भण्डारण सुविधा प्राप्त करने के लिये किये गये प्रयासों का कथन भ्रामक है, क्योंकि लहसुन की खरीद के साथ-साथ विक्रय करने का निर्णय (16 अप्रैल 2018) निविदायें आमंत्रित (20 अप्रैल 2018) करने से पूर्व ही ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, यदि विभाग वास्तव में निजी भण्डारण सुविधा चाहता था तो इसके लिए निविदा प्रक्रिया उचित समय पूर्व ही शुरू करनी चाहिए थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है भण्डारण सुविधाओं की अनुपलब्धता/असृजन के कारण विभाग एमआईएस के अंतर्गत खरीदे गए लहसुन को बहुत कम कीमतों पर बेचने हेतु बाध्य हुआ, उससे ₹ 231.77 करोड़ की वृहद हानि उठानी पड़ी, जिसमें से ₹ 38.79 करोड़² का केंद्रीय अंश जून 2020 तक भी प्राप्त नहीं किया गया था।

चूंकि एमआईएस के अंतर्गत नाशवान उपजों की खरीद एक बार होने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए भविष्य में हानियों से बचने/सीमित करने के क्रम में, राज्य सरकार को राज्य में लहसुन के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधा तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों का तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं का भी कल्याण सुनिश्चित हो।

वित्त विभाग

3.3 पेंशन का अधिक/कम भुगतान

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के परिणामस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 1.47 करोड़ का अधिक/कम/अनियमित भुगतान।

राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम, 1996 का परिशिष्ट-VI (क्र.सं. 9) प्रावधान करता है कि कोषाधिकारी, बैंकों द्वारा किये गए भुगतानों की शुद्धता जाँच, उसके द्वारा संधारित अभिलेखों से करेगा और इसके बाद ही संव्यवहारों को अपने लेखों में सम्मिलित करेगा।

जन लेखा समिति (जलेस) ने, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन (सिविल) 2015-16, राजस्थान सरकार के अनुच्छेद 3.7 “पेंशन का अधिक/कम भुगतान” का परीक्षण करते समय सिफारिश की (फरवरी 2018) कि विभाग को अधिक पेंशन भुगतान की वसूली

² क्रय लागत ₹ 310.34 की हानि को 25 प्रतिशत तक सीमित कर ₹ 77.58 करोड़ का 50 प्रतिशत।

एवं कम पेंशन के सम्बन्ध में उचित राशि का भुगतान करना चाहिए तथा भविष्य में ऐसे अधिक भुगतानों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठायेँ और इस बारे में प्रधान महालेखाकार व जलेस को सूचित करें।

17 जिलों में 74 बैंकों और 16 निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों के पेंशन भुगतान से सम्बंधित अभिलेखों³ की नमूना जाँच (अप्रैल 2016 से मार्च 2019) में अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पायी गई, 32 बैंकों और 5 निदेशालयों/अति. निदेशालयों के 67 प्रकरणों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 0.50 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण तालिका 1 में दिया गया है।

तालिका 1

क्र.सं.	अधिक भुगतान के कारण	वर्ष 2016-17 में किये गए अधिक भुगतान		वर्ष 2017-18 में किये गए अधिक भुगतान		वर्ष 2018-19 में किये गए अधिक भुगतान	
		प्रकरणों की संख्यां	राशि	प्रकरणों की संख्यां	राशि	प्रकरणों की संख्यां	राशि
1.	निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पारिवारिक पेंशन का कम नहीं किया जाना (राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1996 का नियम 62)	11	8.59	-	-	16	22.59
2.	लघुकरण के पश्चात भी पेंशन कम नहीं किया जाना (राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1996 का नियम 28)	1	0.22	-	-	06	0.68
3.	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन का भुगतान	-	-	-	-	06	1.42
4.	पेंशनरों को उनके पुर्ननियोजन की अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान (राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1996 का नियम 164)	1	6.33	-	-	-	-
5.	पेंशन एवं मंहगाई राहत का अनुमत्य से अधिक दर पर भुगतान	2	1.60	-	-	04	0.59
6.	उपादान भुगतानों से देयताओं की वसूली नहीं किया जाना (राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन का लघुकरण) नियम 1996 का नियम 92)	-	-	-	-	04	1.88
7.	विविध	2	1.02	01	0.07	13	5.28
	योग	17	17.76	01	0.07	49	32.44
	कुल योग		67		50.27		

आगे, यह भी पाया गया कि 31 मार्च 2019 को 51 बैंकों तथा तीन निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों ने 110 प्रकरणों में राशि ₹ 0.97 करोड़⁴ का कम भुगतान किया। कम भुगतान के कारण थे:

³ 2016-17: 22 बैंक तथा 03 निदेशालय; 2017-18: 01 बैंक तथा 03 निदेशालय; 2018-19: 51 बैंक तथा 10 निदेशालय।

⁴ 2016-17-22 प्रकरण: ₹ 0.26 करोड़; 2017-18-01 प्रकरण: ₹ 0.12 लाख तथा 2018-19-87 प्रकरण: ₹ 0.71 करोड़।

- पेंशन का कम भुगतान
- उपादान का कम भुगतान
- अतिरिक्त पेंशन का भुगतान नहीं करना

पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों का उल्लेख विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2009-10 से 2015-16 में भी किया जा चुका है जिसका विवरण तालिका 2 में दिया गया है।

तालिका 2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	प्रकरणों की संख्या	अधिक भुगतान (राशि ₹ करोड़ में)
2009-10 (सिविल)	3.4.1	270	0.67
2010-11 (सिविल)	3.3.1	202	0.58
2011-12 (सा.एवं सा. क्षे.)	3.3.1	278	0.94
2012-13 (सा.एवं सा. क्षे.)	2.3.1	193	0.92
2013-14 (सा.एवं सा. क्षे.)	3.3.1	308	1.54
2015-16 (सा.एवं सा. क्षे.)	3.7	260	1.17

लेखापरीक्षा आक्षेपों की अनुपालना में विभाग ने अधिक भुगतान की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोषाधिकारियों को बैंकों को निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया था (अप्रैल 2014)। यह भी बताया गया (अक्टूबर 2017) कि बैंकों द्वारा नागरिक पेंशन वेबसाइट पर अपलोड किये गए ई-स्करोल, कोषागार डाटाबेस के आधार पर तैयार किये गए हैं एवं ऑनलाइन पेंशन चेक रजिस्टर के मिलान के दौरान मिली त्रुटि को सुधारा जा रहा है। इसके अलावा, बैंक और कोषालय डाटा के बीच अन्तर की संभावना को कम करने के लिए बैंक सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रॉनिक-पेंशन भुगतान आदेश डाटाबेस को शामिल करने की कार्यवाही की जा रही है।

तथापि, विभाग के निर्देशों और भविष्य में पेंशन के भुगतान में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में जलेस की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक अनुसरण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के अधिक/कम भुगतान की पुनरावृत्ति हुई।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (फरवरी 2020) कि राशि ₹ 0.50 करोड़ के अधिक भुगतान के विरुद्ध राशि ₹ 0.30 करोड़⁵ (40 प्रकरणों में) की वसूली की जा चुकी है। यह भी अवगत कराया गया कि राशि ₹ 0.97 करोड़ के कम भुगतान के विरुद्ध राशि ₹ 0.49 करोड़⁶ (51 प्रकरणों में) का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि के वसूली/भुगतान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, लेखापरीक्षा के सत्यापन हेतु अधिक भुगतान की वसूली राशि 0.16 करोड़ (12 प्रकरणों में) और कम भुगतान राशि 0.19 करोड़ (14 प्रकरणों में) जारी करने सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त होना प्रतिक्रित थे (जून 2020)।

⁵ 2016-17-13 प्रकरण: ₹ 15.91 लाख; 2018-19-27 प्रकरण: ₹ 14.02 लाख।

⁶ 2016-17-14 प्रकरण: ₹ 17.05 लाख; 2018-19-37 प्रकरण: ₹ 31.58 लाख।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

3.4 बारां जिले में सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी (सा.न.मि.) विद्यालय का निर्माण नहीं होना

जिला अस्पताल प्रतापगढ़ एवं बारां द्वारा पहल तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा अनुश्रवण की कमी के कारण नौ वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी बारां में सामान्य नर्सिंग मिडवाइफरी विद्यालय भवन के निर्माण के अभाव के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान के मूल प्रयोजन का विफल होना ।

भारत सरकार (भा.स.) ने यह पाया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सूचकांक यथा मातृ मृत्यु दर (मा.मृ.द.) एवं शिशु मृत्यु दर (शि.मृ.द.) उन जिलों में अधिक है जहां पर्याप्त संख्या में सहायक नर्सिंग मिडवाइफरी (स.न.मि.) नहीं है । इसके अलावा, स्टाफ नर्सों की कमी {सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी(सा.न.मि.)} भी समस्त स्तरों पर यथा उप केंद्र से जिला अस्पताल तक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है । देश भर में नर्सिंग कर्मियों की समग्र उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ उनके असमान वितरण को युक्तिसंगत ठीक करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने उच्च फोकस वाले राज्यों जिनमें राजस्थान⁷ भी शामिल था, में 132 स.न.मि तथा 137 सा.न.मि. विद्यालयों को निर्मित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया । उन्हें उन जिलों में स्थापित किया जाना था, जिनमें ऐसे विद्यालय नहीं थे । भारत सरकार द्वारा राजस्थान में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दो जिलों बारां एवं प्रतापगढ़ का चयन किया गया ।

योजना के अनुसरण में, भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजना “नर्सिंग सेवाओं के उन्नयन/सुदृढीकरण (मानव संसाधन-स्वास्थ्य)” के अंतर्गत राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक स.न.मि. विद्यालय एवं बारां में एक सा.न.मि. विद्यालय की स्थापना के लिए एक संस्वीकृति जारी की (सितम्बर 2010) । एक स.न.मि. एवं सा.न.मि. विद्यालय की लागत क्रमशः 5.00 करोड़⁸ एवं 10.00 करोड़⁹ नियत की गई थी, जिसमें से 15 प्रतिशत राशि का वहन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाना था ।

तदनुसार, भारत सरकार ने जिला अस्पताल (जि.अ.), प्रतापगढ़ को ₹ 3.50 करोड़ की प्रथम किश्त जारी (अक्टूबर 2010) की, जिसमें स.न.मि. विद्यालय, प्रतापगढ़ के लिए ₹ 1.25 करोड़ तथा सा.न.मि. विद्यालय, बारां के लिए ₹ 2.25 करोड़ शामिल थे । सहायता अनुदान इस शर्त के अधीन था कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृति के उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, द्वितीय किश्त का निर्गमन, प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र. प), भूमि आवंटन के प्रमाण-पत्र तथा योजना के लिए राजस्थान सरकार के अंशदान के योगदान के बाद ही किया जावेगा ।

⁷ नीति आयोग के अनुसार, राजस्थान की शि.मृ.द. (2016) अखिल भारतीय औसत 34 की तुलना में 41 थी तथा मा. मृ.द. (2014-16) अखिल भारतीय औसत 130 की तुलना में 199 थी ।

⁸ सिविल कार्य: ₹ 2.30 करोड़; परिवहन: ₹ 0.15 करोड़; प्रयोगशाला उपकरण: ₹ 0.49 करोड़; दृश्य श्रव्य उपकरण एवं पुस्तकें: ₹ 0.30 करोड़; कंप्यूटर प्रयोगशाला एवं फर्नीचर: ₹ 0.70 करोड़ तथा आवर्ती व्यय: ₹ 1.06 करोड़ ।

⁹ सिविल कार्य: ₹ 5.35 करोड़; परिवहन: ₹ 0.35 करोड़; फर्नीचर: ₹ 2.15 करोड़ एवं अन्य: ₹ 0.10 करोड़ तथा आवर्ती व्यय: ₹ 2.05 करोड़ ।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ (मार्च 2019) कि धनराशि प्राप्त होने पर जि.अ., प्रतापगढ़ ने सा.न.मि. विद्यालय, बारां को उसके अंश (₹ 2.25 करोड़) के हस्तान्तरण किये बिना ही सहायता अनुदान की समस्त राशि ₹ 3.50 करोड़ राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी (रा.मे.रि.सो.), प्रतापगढ़ के खाते में जमा करा दी। जि.अ., प्रतापगढ़ ने स.न.मि. विद्यालय, प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम, उदयपुर (रा.रा.स.वि.एवं नि.नि.) को ₹ 2.30 करोड़ में सौंप दिया (दिसम्बर 2010)। जि.चि., प्रतापगढ़ ने स.न.मि. विद्यालय भवन के निर्माण के लिए नवम्बर 2010 से अप्रैल 2012 के दौरान रा.रा.स.वि.एवं नि.नि. को ₹ 2.07 करोड़¹⁰ की राशि का भुगतान किया, जिसे अक्टूबर 2014 में जि.अ., प्रतापगढ़ को सुपुर्द किया गया।

इस प्रकार, जि.अ., प्रतापगढ़ ने ₹ 1.25 करोड़ के अपने अंश के विरुद्ध ₹ 2.07 करोड़ का उपयोग किया तथा 42 माह व्यतीत होने के बाद जि.अ., बारां को केवल ₹ 1.43 करोड़ हस्तांतरित (अप्रैल 2014) किये। जि.अ., प्रतापगढ़ ने सा.न.मि. विद्यालय से संबंधित अनुदान को भी अप्रैल 2014 तक अनियमित रूप से अपने स्वयं के खाते में रखा तथा प्रथम किस्त पर ब्याज के रूप में ₹ 0.27 करोड़ अर्जित किये, लेकिन उक्त राशि को जि.अ., बारां को हस्तांतरित नहीं किया गया।

तथापि, स.न.मि. विद्यालय प्रतापगढ़ के संयुक्त भौतिक सत्यापन में प्रकट हुआ (सितम्बर 2019) कि आई.टी. प्रयोगशाला, कौशल प्रयोगशाला, पोषण प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं द्वितीय वर्ष कक्षा-कक्षाओं में फर्नीचर उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, इन प्रयोगशालाओं में पर्याप्त उपकरण/कंप्यूटर भी उपलब्ध नहीं थे।

दूसरी ओर, जि.अ., बारां ने जि.अ., प्रतापगढ़ से प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने एवं सा.न.मि. भवन के निर्माण के लिये कोई कार्यवाही शुरू नहीं की, जबकि भारत सरकार से संस्वीकृति की छायाप्रति जि.अ., बारां के पास उपलब्ध थी। अप्रैल 2014 में धनराशि के प्राप्त होने पर, जि.अ., बारां ने पाया कि ₹ 1.43 करोड़ की उपलब्ध निधि से सा.न.मि. भवन का निर्माण सम्भव नहीं था क्योंकि अनुमानित लागत बढ़कर ₹ 8.13 करोड़ हो गई थी। तदनुसार, विभाग ने ₹ 8.13 करोड़ का संशोधित अनुमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली (स्वा. एवं प.क्र.म.) को प्रेषित किया (फरवरी 2015), जिसका अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित था। अव्ययित राशि ₹ 1.43 करोड़ और इस राशि पर अर्जित ब्याज ₹ 0.24 करोड़ मई 2014 से अभी भी आर.एम.आर.एस., बारां के पास पड़ा हुआ था। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय ने भी जि.अ., बारां को अनुदान के समयबद्ध हस्तांतरण के लिए उपयुक्त निर्देश जारी नहीं किये गये।

आगे यह पाया गया कि भारत सरकार ने इन कार्यों के लिए ₹ 6.48 करोड़¹¹ की द्वितीय किस्त जारी की थी (फरवरी 2016)। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निदेशालय इस मामले में निष्क्रिय बना रहा और द्वितीय किस्त के अन्तर्गत प्राप्त धन राशि अनुपयोगी रही तथा राजस्थान सरकार के खातों में रखी रही। इस मामले में राजस्थान सरकार/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय द्वारा रचनात्मक कार्यवाही किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। राजस्थान सरकार ने योजना के लिए अपना 15 प्रतिशत अंश भी जारी नहीं किया।

¹⁰ नवम्बर 2010: ₹ 57.50 लाख, मई 2011: ₹ 1.00 करोड़, मार्च 2012: ₹ 15.25 लाख एवं अप्रैल 2012: ₹ 34.25 लाख।

¹¹ स.न.मि. विद्यालय- ₹ 1.97 करोड़ एवं सा.न.मि. विद्यालय- ₹ 4.51 करोड़।

ये टिप्पणियां योजना के उद्देश्य पूर्ति की दिशा में राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता एवं संकेन्द्रित प्रयासों की कमी को इंगित करती है।

इस प्रकार जि.अ., प्रतापगढ़ द्वारा जि.अ., बारां के हिस्से की धनराशि का अनियमित रूप से अवरोधन, जि.अ., बारां द्वारा पहल की कमी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय द्वारा अनुश्रवण की कमी के परिणामस्वरूप बारां में केन्द्रीय अनुदान की उपलब्धता के बावजूद सा.न.मि. विद्यालय भवन का निर्माण नौ वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नहीं हुआ। इससे उपेक्षित जिलों में नर्सिंग कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने की योजना का प्रमुख उद्देश्य विफल हो गया।

राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (दिसम्बर 2019) कि जि.अ., प्रतापगढ़ ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को भवन के निर्माण के लिए धनराशि (₹ 1.57 करोड़) के उपयोग के बारे में अवगत (सितम्बर 2011) कराया और ₹ 2.30 करोड़ की कुल संस्वीकृति (सिविल कार्य) के समक्ष ₹ 1.05 करोड़ की शेष धनराशि की मांग की। तथापि, किसी मार्गदर्शन के अभाव में जि.अ., बारां के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग स.न.मि. भवन, प्रतापगढ़ के निर्माण के लिये कर लिया गया।

राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की खराब स्थिति को देखते हुए, स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचे का समयबद्ध तरीके से विकास अपेक्षित था। तथापि, बारां में भारत सरकार की योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु ऐसे आधारभूत ढांचे को सृजित करने के लिए प्रयास, जो कि संतोषजनक स्वास्थ्य मापदण्डों¹² से कम है, निष्फल रहे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

3.5 जोधपुर में पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का पूर्ण न होना

आवश्यकता का अनुचित मूल्यांकन और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप सात वर्ष व्यतीत होने तथा ₹ 3.89 करोड़ का व्यय होने के पश्चात भी पैरा चिकित्सा महाविद्यालय भवन का पूर्ण नहीं होना, इसके साथ-साथ केन्द्रीय अनुदान की बकाया किश्त की राशि ₹ 3.36 करोड़ को प्राप्त करने में विफलता।

पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों¹³ को आयोजित करने की सुविधाएं सृजित करने के उद्देश्य से, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों (रा.चि.म.), जोधपुर द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2012) किये गए ₹ 7.90 करोड़ के प्रस्ताव को भारत सरकार की 11वीं पंचवर्षीय योजना¹⁴ के दौरान राज्य सरकार के चिकित्सा महाविद्यालयों के सहयोग हेतु एक बारीय अनुदान योजना

¹² सम्पूर्ण ग्रामीण राजस्थान में 7.4 प्रतिशत की तुलना में बारां में पूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली ग्रामीण माताओं की संख्या 5.2 प्रतिशत थी। इसी तरह, जन्म के पश्चात 2 दिनों के भीतर स.न.मि. जैसे स्वास्थ्य कर्मियों से स्वास्थ्य परीक्षण प्राप्त करने वाले ग्रामीण बच्चे प्रतापगढ़ में सम्पूर्ण ग्रामीण राजस्थान के 22 प्रतिशत की तुलना में 21.7 प्रतिशत थे।

¹³ चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, रेडियोग्राफी एवं प्रतिरूप तकनीक तथा दृष्टिमिति एवं नेत्र संबंधी तकनीकों में तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम।

¹⁴ योजना अवधि 2007-12 थी।

के अंतर्गत अनुमोदित (जुलाई 2012) किया गया। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, आधारभूत ढांचे पर ₹ 5.50 करोड़, उपकरण पर ₹ 1.45 करोड़ एवं अध्यापकों पर ₹ 0.95 करोड़ की राशि व्यय की जानी थी। परियोजना लागत को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 85:15 के अनुपात में साझा किया जाना था।

तदनुसार, भारत सरकार ने ₹ 3.36 करोड़ की प्रथम किश्त (भारत सरकार के कुल अंश का 50 प्रतिशत) इस शर्त के साथ जारी की (अगस्त 2012) कि अनुदान की द्वितीय/अनुवर्ती किश्तें तभी जारी की जाएंगी जब रा.चि.म. द्वारा समय पर प्रथम किश्त के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र (उ.प्र.प.) प्रस्तुत कर दिया जाये और राज्य सरकार द्वारा अपने अंश का 15 प्रतिशत रा.चि.म. के निर्धारित बैंक खाते में जारी/हस्तांतरित कर दिया गया है।

रा.चि.म., जोधपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2017) एवं आगे एकत्रित सूचना (जुलाई 2018 एवं जून 2019) में प्रकट हुआ कि भारत सरकार से प्रथम किश्त की प्राप्ति (अगस्त 2012) के 30 माह व्यतीत होने के उपरांत रा.चि.म., जोधपुर ने चिकित्सा खण्ड, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), जोधपुर से 120 क्षमता के छात्रावास सहित महाविद्यालय भवन के लिए विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जनवरी 2015)।

तदनुसार, लो.नि.वि. ने महाविद्यालय एवं छात्रावास भवन के निर्माण के लिए ₹ 5.50 करोड़ का विस्तृत अनुमान मय डिजाईन एवं मानचित्र प्रस्तुत किया (अगस्त 2015)। लो.नि.वि. ने इन अनुमानों के आधार पर तथा रा.चि.म. के निर्देश पर महाविद्यालय भवन (छात्रावास को छोड़कर) के निर्माण का सिविल कार्य 5 मार्च 2017 की निर्धारित तिथि तक पूर्ण करने के लिये ₹ 3.42 करोड़ में एक संवेदक को सौंप दिया (नवम्बर 2015)।

इसी बीच, रा.चि.म. ने (दिसम्बर 2015) लो.नि.वि. द्वारा तैयार किये गये स्ट्रक्चरल ड्राइंग का परीक्षण, इसकी मानदंडों के साथ अनुपालना की जाँच करने एवं किसी संशोधन का सुझाव यदि आवश्यक हो, देने के लिए एक समिति बनाई। तदनुसार, समिति ने वर्तमान छात्र संख्या के साथ-साथ अगले दस वर्षों में अपेक्षित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता का निर्धारण किया (जनवरी 2016) एवं छः अतिरिक्त विभागों को समायोजित करने के लिये आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दिया।

समिति के सुझावों पर कार्यवाही करते हुए, रा.चि.म. ने राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त किए बिना लो.नि.वि. को ड्राइंग में, छः अतिरिक्त विभागों को समायोजित करने के लिए आवश्यक 36,000 वर्गफुट क्षेत्र को शामिल करते हुए संशोधन करने के लिए निर्देशित किया (फरवरी 2016)। इसके परिणामस्वरूप, लो.नि.वि. ने भूतल एवं तीन तलों की संरचना के साथ भवन के लिये संशोधित ड्राइंग एवं साईट प्लान प्रस्तुत किया (मई 2016), जिसे रा.चि.म. द्वारा जून 2016 में अनुमोदित कर दिया गया था और उसी को लो.नि.वि. द्वारा संवेदक को भेज दिया गया था (जून 2016)। चूँकि ड्राइंग को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, संवेदक 10 माह से अधिक के विलम्ब के बाद अक्टूबर 2016 में कार्य आरम्भ कर सका।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि भवन की आवश्यकताओं एवं ड्राइंग को अंतिम रूप देने में हुए असामान्य विलम्ब के कारण परियोजना में देरी हुई तथा भूतल एवं तीन तलों वाले भवन के विरुद्ध सात वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी मात्र भूतल के ढांचे (जैसा कि नीचे

छायाचित्रों में प्रदर्शित किया गया) का निर्माण किया गया था। यह भवन अपूर्ण था एवं निधियों की कमी के कारण जनवरी 2018 से कार्य रुका हुआ था। इसके परिणामस्वरूप अपूर्ण ढांचे पर किया गया ₹ 3.89 करोड़ का व्यय निष्फल रहा। आगे, इस विलम्ब के कारण, शेष कार्य को पूर्ण करने की लागत भी बढ़कर ₹ 25.05 करोड़¹⁵ हो गई। इसके अलावा, राज्य सरकार ने अपने हिस्से की समानुपाती राशि ₹ 59.29 लाख भी (कुल राज्य अंश का 50 प्रतिशत) रा.चि.म. को जारी नहीं की (मई 2019 तक), जोकि भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त जारी करने की पूर्व शर्त थी। रा.चि.म., संबंधित राज्यांश के लिए उ.प्र.प. प्रस्तुत नहीं करने के कारण, भारत सरकार से ₹ 3.36 करोड़ की द्वितीय किश्त प्राप्त करने में भी विफल रहा।



एस.एन. चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में पैरा मेडिकल महाविद्यालय के अपूर्ण निर्माण को प्रदर्शित करने वाली तस्वीरें (जून 2019)

ध्यान में लाये जाने पर (जून 2019), रा.चि.म. ने स्वीकार किया कि पैरा मेडिकल महाविद्यालय के निर्माण में देरी हुई है तथा केवल भूतल के ढांचे का ही निर्माण किया गया है। तथापि, कार्य प्रगति पर है और भारत सरकार को ₹ 2.17 करोड़ (60:40 अनुपात के आधार पर) की द्वितीय किश्त जारी करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है (नवम्बर 2018)।

इस प्रकार, कार्य आरंभ (30 माह) करने में उदासीन दृष्टिकोण एवं आवश्यकता के अनुचित आंकलन तथा ड्राइंग के अनुमोदन में असामान्य देरी (16 माह) के परिणामस्वरूप सात वर्षों के व्यतीत होने तथा ₹ 3.89 करोड़ का व्यय किये जाने के पश्चात् भी भवन अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त, सहायता अनुदान की शर्तों¹⁶ में परिवर्तन के कारण रा.चि.म. ने राशि ₹ 1.19 करोड़ (द्वितीय किश्त का भाग) की मांग का अवसर भी खो दिया।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (फरवरी 2020) कि पैरा मेडिकल महाविद्यालय के निर्माण में विलम्ब हुआ था।

¹⁵ लो.नि.वि. ने रा.चि.म. द्वारा अनुमोदित संशोधित नक्शे के अनुसार कार्य पूर्ण करने के लिए ₹ 25.05 करोड़ का पूर्वानुमान प्रस्तुत किया (मई 2017)।

¹⁶ भारत सरकार द्वारा 2014-15 के दौरान, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों के अंशदान की हिस्सेदारी को भारत सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य प्रतिमान को 85:15 से 60:40 में परिवर्तित कर दिया गया था।

3.6 किराए की मांग नहीं करने के कारण संवेदक को अदेय लाभ

चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा द्वारा नगर विकास न्यास, कोटा के संवेदक से दोनों अभिकरणों के मध्य समन्वय की कमी के कारण फ्लाई ओवर के कार्य के लिए प्रदान की गई भूमि के किराये की राशि ₹ 23.33 करोड़ की वसूली का अभाव ।

नगर विकास न्यास (न.वि.न्या.), कोटा ने रंगबाड़ी सड़क, कोटा पर दानबाड़ी से केशोपुरा सर्किल तक एक फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए ₹ 140.58 करोड़ की कूल लागत पर अनुबंध किया (सितम्बर 2017)। अनुबंध की विशेष शर्त (संख्या 104) के अनुसार, साईट कार्यालय/प्रयोगशाला/संयंत्र एवं मशीनरी के लिए भूमि की व्यवस्था संवेदक स्वयं अपने स्तर एवं लागत पर करने के लिए उत्तरदायी था । न.वि.न्या. ने चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा (चि.म.) को अस्पताल परिसर में 20,000 वर्गमीटर (250x80 मीटर) माप की रिक्त भूमि लगभग एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान करने के लिए अनुरोध किया (अक्टूबर 2017), जो फ्लाई ओवर के लिए खंड बनाने वाले संयंत्र को स्थापित करने के लिए आवश्यक थी क्योंकि यह अस्पताल परिसर के ठीक पास से गुजर रहा था । चि.म. ने इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी (अक्टूबर 2017) कि जब अस्पताल के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो भूमि को रिक्त कर दिया जायेगा तथा कार्यस्थल पर कोई स्थायी ढांचा नहीं बनाया जायेगा । न.वि.न्या. द्वारा उक्त भूमि संवेदक को बिना कोई किराया निर्धारित किये उपलब्ध करवा दी गई थी (अक्टूबर 2017) ।

यह संज्ञान में आने पर कि भूमि का उपयोग न.वि.न्या. के बजाय संवेदक द्वारा किया जा रहा था, चि.म ने न.वि.न्या., कोटा को इस भूमि का किराया लो.नि.वि. द्वारा निर्धारित करवा कर जमा करने के लिए अनुरोध किया (13 नवम्बर 2017, 30 नवम्बर 2017 एवं 12 जनवरी 2018)। लेकिन, न.वि.न्या., कोटा ने चि.म. के पत्रों का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया । इसके बाद, चि.म. के अनुरोध पर लो.नि.वि. ने (जनवरी 2018) उक्त भूमि का उचित किराया ₹ 83.31 लाख प्रति माह निर्धारित किया । तदनुसार, चि.म. ने न.वि.न्या. को अक्टूबर 2017 से आगे निर्धारित की गई दरों पर किराया जमा कराने के लिए कहा (मार्च 2018) ।

न.वि.न्या, कोटा ने वांछित किराया जमा कराने के स्थान पर यह बताया (मई 2018) कि खंड बनाने वाले संयंत्र को स्थापित करने के लिए उपयोग की जा रही भूमि वास्तव में न.वि.न्या. से संबंधित है क्योंकि यह उस 60,032 वर्ग मीटर भूमि का भाग थी जिसका चि.म. ने पहले अतिक्रमण किया था, इसलिए चि.म. को कोई किराया देय नहीं था । तथापि, बाद में दोनों विभागों की एक संयुक्त बैठक (अगस्त 2019) में, न.वि.न्या. ने यह सहमति दी कि उक्त भूमि चिकित्सा महाविद्यालय की है ।

दूसरी ओर न.वि.न्या., कोटा ने भी संवेदक से किराया नहीं मांगा । इस तरह संवेदक दोनों अभिकरणों यथा न.वि.न्या., जोकि अनुबंधप्रदाता है तथा चि.म. जो कि संपत्ति का स्वामी था, में से किसी को भी किराया चुकाये बिना सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग कर रहा था ।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (जनवरी 2020) कि चि.म., कोटा ने सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना न.वि.न्या. को भूमि उपलब्ध कराई । दूसरी ओर, न.वि.न्या. ने अवगत कराया (नवम्बर 2019) कि चि.म., कोटा द्वारा

न.वि.न्या., कोटा को उक्त भूमि के किराए के भुगतान से संबंधित कोई शर्त निर्धारित किए बिना उपलब्ध करायी गई थी।

इस प्रकार, तथ्य यह है कि चि.म., कोटा द्वारा आवश्यक प्रक्रिया का पालन किये बिना न.वि.न्या. को भूमि उपलब्ध कराने से तथा न.वि.न्या., कोटा द्वारा निर्माण कार्य के लिए भूमि आवंटित करने से पहले देय किराये को स्पष्ट रूप से उल्लेखित करने में विफलता के परिणामस्वरूप संवेदक को अदेय लाभ हुआ एवं अक्टूबर 2017 से किराये की राशि ₹ 23.33 करोड़ से वंचित होना पड़ा (जनवरी 2020)।

3.7 अनुसंधान अस्पताल, जयपुर पर निष्फल व्यय

जन लेखा समिति को आश्वासन देने के बावजूद, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन सुपर स्पेशियलिटी अनुसंधान अस्पताल 11 वर्ष व्यतीत होने तथा ₹ 19.30 करोड़ के व्यय के बाद भी अपूर्ण रहा, इस पर किया गया व्यय निष्फल रहा।

राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (रा.स्वा.वि.वि.) के नियंत्रण के अंतर्गत जयपुर में सौ शैख्याओं वाले एक सुपर स्पेशियलिटी अनुसंधान अस्पताल स्थापित करने के उद्देश्य से, भवन के निर्माण के लिए ₹ 10.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की (सितम्बर 2007), जिसको 28 फरवरी 2009 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, अस्पताल भवन ₹ 7.38 करोड़¹⁷ का व्यय करने के उपरांत भी निधियों की कमी के कारण मार्च 2009 तक पूर्ण नहीं किया जा सका, जो कि न तो राजस्थान सरकार और न ही रा.स्वा.वि.वि. द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से कार्यकारी अभिकरण¹⁸ को प्रदान की गई थी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) के अनुच्छेद 2.4.6.1 में उल्लेख किया गया था।

जन लेखा समिति ने इस मामले का नवम्बर 2012 में परिक्षण किया तथा रा.स्वा.वि.वि. की स्वयं की निधियों के माध्यम से अनुसंधान अस्पताल का निर्माण पूर्ण नहीं करने के कारण पूछे। राजस्थान सरकार ने ज.ले.स. को स्पष्ट किया (जून 2014) कि अनुसंधान अस्पताल के लिए आवर्ती व्यय के साथ-साथ उपकरण, फर्नीचर एवं सामग्रियों पर व्यय रा.स्वा.वि.वि. द्वारा वहन किया जाना था जबकि गैर-आवर्ती व्यय (सिविल) राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान किया जाना था। यह भी बताया गया था कि अनुसंधान अस्पताल के निर्माण के लिए रा.स्वा.वि.वि. द्वारा मांग की जा रही धनराशि बजटीय प्रावधानों के माध्यम से प्रदान की जा रही है तथा राजस्थान सरकार ने ज.ले.स. को आश्वासन दिया (जून 2014) कि कार्य अंतिम चरणों में है। राजस्थान सरकार के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, ज.ले.स. ने अपने क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन संख्या-48 (13वीं विधानसभा), जिसे विधानमंडल में उपस्थापित किया गया (फरवरी 2015), में प्रकरण को अंतिम रूप निर्णित कर दिया।

रा.स्वा.वि.वि. के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ (अक्टूबर 2018) कि राजस्थान सरकार ने (फरवरी 2013) अनुसंधान अस्पताल के निर्माण के लिए ₹ 24.65 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ संशोधित की कि रा.स्वा.वि.वि. अपने स्वयं के संसाधनों से ₹ 1.20 करोड़ का योगदान देगा। इसके बाद, राजस्थान सरकार ने

¹⁷ ₹ 0.58 करोड़ के लम्बित दायित्व सहित है।

¹⁸ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (रा.रा.स.वि.एवं.नि.नि.)।

रा.स्वा.वि.वि. को ₹ 11.65 करोड़¹⁹ की अतिरिक्त धनराशि अप्रैल 2011 से 2014 के दौरान जारी की, जिसमें से ₹ 5 करोड़ को मार्च 2013 में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में जारी किया गया था जिसे सरकार को 2014-15 से चार समान किशतों में पुनः चुकाना था। तदनुसार, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (रा.रा.स.वि.एवं नि.नि.) ने अनुसंधान अस्पताल के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए ₹ 21.15 करोड़ का व्यय किया, जिसमें से रा.स्वा.वि.वि. ने रा.रा.स.वि.एवं नि.नि. को ₹ 12.50 करोड़²⁰ (अपने स्वयं के कोष से ₹ 1.20 करोड़ सहित) जून 2011 से सितम्बर 2019 तक जारी किये।

निर्माण में प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा विभागीय प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण जून 2019²¹ में आयोजित किया गया था। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि अनुसंधान अस्पताल का निर्माण कार्य अपूर्ण (जून 2019) था क्योंकि बाहरी सिविल कार्य, विकास कार्य, विद्युत कार्य, लिफ्ट स्थापना आदि के कार्य अभी भी बकाया थे। कार्य जुलाई 2014 से धन की कमी के कारण रुका हुआ था। इसके अतिरिक्त, संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि अपूर्ण ढांचे में स्थापित ट्रांसफार्मर एवं शीतलन संयंत्र बेकार पड़े हुए थे एवं समय व्यतीत होने के साथ जर्जर हो चुके थे। इसके अतिरिक्त, तहखाने में जल भराव/रिसाव हो रहा था, दीवारों में गंभीर दरारें और मौजूदा ढांचे की खिड़कियों एवं दरवाजों को भी नुकसान हो चुका था जैसा कि नीचे छायाचित्रों में प्रदर्शित किया गया है।



अनुसंधान अस्पताल भवन की दीवारों में दरारें

अनुसंधान अस्पताल भवन के तहखाने में जल भराव/रिसाव

यह भी पता चला कि रा.स्वा.वि.वि. के अनुरोधों (जून एवं सितम्बर 2015) के बावजूद भी राजस्थान सरकार ने निधियाँ जारी नहीं की थी। दूसरी ओर, राजस्थान सरकार ने रा.स्वा.वि.वि. से ₹ 5.00 करोड़ की मांग की (सितम्बर 2015), जिसे पूर्व में ब्याज मुक्त ऋण के रूप में जारी किया गया था (मार्च 2013)।

ध्यान में लाने पर (अक्टूबर 2019), राजस्थान सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (जनवरी 2020) कि अनुसंधान अस्पताल का निर्माण अभी भी अपूर्ण था एवं रा.स्वा.वि.वि. निधियों की कमी के कारण कार्य पूर्ण कराने की स्थिति में नहीं था।

¹⁹ कुल जारी निधियाँ: ₹ 18.45 करोड़ (मार्च 2009 तक ₹ 6.80 करोड़ तथा अप्रैल 2011 से मार्च 2014 तक ₹ 11.65 करोड़)।

²⁰ जून 2011 में ₹ 195.00 लाख; फरवरी 2012 में ₹ 196.15 लाख; मई 2012 में ₹ 161.88 लाख; अप्रैल 2013 में ₹ 100.00 लाख; अप्रैल 2014 में ₹ 200 लाख; अक्टूबर 2014 में ₹ 200 लाख; दिसम्बर 2014 में ₹ 50 लाख; मार्च 2015 में ₹ 27.11 लाख एवं सितम्बर 2019 में ₹ 1.20 करोड़।

²¹ एक भौतिक निरीक्षण अक्टूबर 2018 में भी किया गया था।

जन लेखा समिति को आश्वासन दिये जाने के बावजूद, अनुसंधान अस्पताल भवन का निर्माण कार्य 11 वर्ष व्यतीत हो जाने तथा ₹ 19.30 करोड़²² का व्यय होने बाद भी अपूर्ण रह गया, इसके निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.8 डक्टाइल आयरन पाइपों के लिए मूल्य वृद्धि के पेटे अधिक भुगतान

डक्टाइल आयरन पाइपों की मूल्य वृद्धि की गणना स्टील घटक के लिए गलत मद के सूचकांक के आधार पर करने के कारण संवेदकों को ₹ 10.73 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

अनुबंध की सामान्य शर्तों के क्लॉज 45 में यह प्रावधान है कि सन्निर्माण कार्यों में सम्मिलित किसी सामग्री/बिटुमिन/डीजल/पेट्रोल/सीमेंट एवं स्टील के मूल्यों तथा/अथवा श्रमिकों की मजदूरी कार्यों की निविदा के खुलने की दिनांक अथवा समझौता-वार्ता की दिनांक को प्रचलित दरों तथा/अथवा मजदूरी की तुलना में बढ़ती है अथवा घटती है, तो कार्य के लिए संवेदक को भुगतान योग्य राशि, सामग्री/बिटुमिन/डीजल/पेट्रोल/सीमेंट एवं स्टील के मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी के लिए समायोजित की जाएगी। आगे, सामग्री/बिटुमिन/ डीजल/पेट्रोल/सीमेंट एवं स्टील की दरों में वृद्धि अथवा कमी त्रैमासिक रूप से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रकाशित संबंधित त्रैमास के औसत थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के आधार पर परिकलित की जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचइडी) के आठ परियोजना खण्डों में निष्पादित की गई, दो क्षेत्रीय जलापूर्ति परियोजनाओं, दो जलापूर्ति परियोजनाओं एवं एक पाइप लाइन के कार्य के अभिलेखों की नमूना-जांच (अक्टूबर 2018 एवं जनवरी-जून 2019) में प्रकट हुआ कि संबंधित प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न संवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित अनुबंध की मानक शर्तों के अनुसार कार्य आवंटित किए गए थे। अनुबंधों में अन्य कार्यों के साथ साथ डक्टाइल आइरन (डीआई) पाइपों की आपूर्ति, बिछाना एवं जोड़ना सम्मिलित था।

अनुबंधों के क्लॉज 45 के अंतर्गत मूल्य वृद्धि की अनुमत्यता की सामान्य शर्त के अनुसार, स्टील घटक के लिए मूल्य वृद्धि निष्पादित किए गए कार्य के मूल्य के 25 से 43 प्रतिशत तक देय थी। स्टील घटक के अंतर्गत मुख्य मद डक्टाइल आयरन पाइप था। पिग आयरन²³ डीआई पाइप के विनिर्माण/ढलाई के लिए प्रधान इनपुट है। पिग आयरन के लिए थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई (आधार 2004-05) श्रृंखला, जोकि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आर्थिक

²² ₹ 6.80 करोड़ + ₹ 11.30 करोड़ + ₹ 1.20 करोड़ = ₹ 19.30 करोड़

²³ मानक इनपुट आउटपुट मापदंड (एसआईओएन) विदेश व्यापार महानिदेशक, भास द्वारा अधिसूचित मानक मापदंड है जो कि निर्यात उद्देश्य के लिए आउटपुट की एक इकाई के विनिर्माण के लिए आवश्यक इनपुट/इनपुटों की मात्रा को परिभाषित करते हैं। एसआईओएन के मद संख्या सी 635 पर एक एमटी डीआई पाइप के लिए 0.96 एमटी पिग आयरन अनुमत्य है।

सलाहकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है, के उपसमूह आयरन एवं सेमीज²⁴ के अंतर्गत उपलब्ध होता है।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह दृष्टिगत हुआ कि स्टील घटक के लिए मूल्य वृद्धि का भुगतान करते समय स्पण्डों ने डीआई पाइपों के लिए पिग आयरन जो कि डीआई पाइपों का मुख्य घटक था, के एक समान सूचकांक के बजाए विभिन्न मदों (इनपुट के रूप में) यथा स्टील, स्टील रॉड, एवं आयरन व सेमीज के डब्ल्यूपीआई सूचकांक काम में लिये। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को तालिका 3 में दर्शाए अनुसार ₹ 10.73 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

तालिका 3

(₹ करोड़ में)

खण्ड का नाम	कार्य का नाम	संवेदक का नाम	स्टील घटक के लिये काम में लिये गये सूचकांक	मूल्यवृद्धि के पेटे वास्तव में किया गया भुगतान	सही मद- पिग आयरन के सूचकांक पर आधारित देय राशि	अधिक भुगतान
परियोजना स्पण्ड-। पाली	133 गाँवों हेतु जलापूर्ति मय डब्ल्यूटीपी, सीडब्ल्यूआर इत्यादि	संवेदक ए	स्टील	1.13	(-)1.66	2.79
परियोजना स्पण्ड- गुलाबपुरा (भीलवाडा)	सीबीडब्ल्यूपी, फेज-II (पैकेज-III)	संवेदक बी	आयरन एवं सेमीज	0.34	0.26	0.08
	सीबीडब्ल्यूपी, फेज-II (पैकेज- IV)	संवेदक बी	स्टील	0.25	(-)0.67	0.92
परियोजना स्पण्ड- मांडलगढ़	सीबीडब्ल्यूपी, फेज- II (पैकेज- VIII)	संवेदक बी	स्टील	0.18	(-)0.48	0.65
परियोजना स्पण्ड- जवाजा	तहसील-ब्यावर के 199 गाँवों की आरडब्ल्यूएसएस	संवेदक सी	आयरन एवं सेमीज	1.03	0.59	0.43
परियोजना स्पण्ड- बस्सी	तहसील-बस्सी के 210 गाँवों की आरडब्ल्यूएसएस	संवेदक डी	स्टील रॉड	3.81	0.85	2.96
परियोजना स्पण्ड- टोंक	बीसलपुर-टोंक-उनियारा-देवली जलापूर्ति परियोजना	संवेदक ए	आयरन एवं सेमीज	0.44	0.33	0.11
परियोजना स्पण्ड- बालोतरा	पोकरण-फलसुण्ड- बालोतरा-सिवाना जलापूर्ति परियोजना (एसपीआर 4 ए)	संवेदक ई	स्टील	1.32	1.29	0.03
परियोजना स्पण्ड- पोकरण	पोकरण-फलसुण्ड- बालोतरा-सिवाना जलापूर्ति परियोजना (एसपीआर 3 ए)	संवेदक एफ	एलॉय स्टील कारस्टिंग	1.59	(-)1.17	2.76
योग				10.07	(-)0.66	10.73

यह देखा गया कि कुछ संवेदकों (संवेदक ए एवं बी) ने विभिन्न अनुबंधों के अंतर्गत समान प्रकृति के कार्य (डीआई पाइपों की आपूर्ति, बिछाना एवं जोड़ना) के लिए विभिन्न इनपुट के लाभदायक सूचकांकों पर आधारित मूल्यवृद्धि बिल प्रस्तुत किए एवं विभाग ने सही इनपुट अर्थात् पिग आयरन के सूचकांक काम में लिए बिना, उनको ही अनुमत्य किया।

यदि स्टील के लिए सही सूचकांक (विभिन्न मदों के सूचकांकों की बजाए पिग आयरन के सूचकांक) काम में लेते हुए मूल्य वृद्धि की गणना की होती, तो मूल्य वृद्धि के पेटे ₹ 10.07 करोड़ के भुगतान के बजाए संवेदकों से ₹ 0.66 करोड़ वसूली योग्य होते। इस प्रकार, स्टील के गलत सूचकांकों पर आधारित मूल्य वृद्धि की गणना के कारण संवेदकों को

²⁴ आयरन एवं सेमीज एक उपसमूह है जिसमें स्पंज आयरन, पिग आयरन, मेल्टिंग स्क्रैप्स, पेंसिल इंगटस बिलेटस एवं स्लेब्स की विशिष्ट मूल्य सूचकांक प्रकाशित किए गए थे तथा आयरन एवं सेमीज के लिए प्रकाशित मूल्य सूचकांक उपरोक्त छः मदों की मूल्य सूचकांकों का भारित औसत था।

₹ 10.73 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, परिणामस्वरूप राजकोष को इस मात्रा तक हानि हुई।

आगे, लेखापरीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि गुजरात जलापूर्ति मंडल एवं तमिलनाडु राज्य की दर अनुसूचियों में डीआई पाइपों के लिए मूल्य वृद्धि के भुगतान हेतु पिग आयरन के सूचकांक मान्य किए गए थे। इसलिए, गलत मूल्य वृद्धि के पेटे ₹ 10.73 करोड़ के अधिक भुगतान की संवेदकों से वसूली की जानी चाहिए। इस प्रकार के चालू सभी अनुबंधों की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए और जहां भी आवश्यक हो, वसूली की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जैसे अन्य राज्यों यथा गुजरात एवं तमिलनाडु द्वारा अपनाया गया, राज्य सरकार भी अनुबंध में ही स्पष्ट करे कि स्टील की किस श्रेणी (स्टील, आयरन एंड सेमीज, पिग आयरन, स्टील रॉड इत्यादि) के आधार पर मूल्य वृद्धि अनुमत्य होगी।

राज्य सरकार ने, लेखापरीक्षा द्वारा लिए गए इस दृष्टिकोण से कि डीआई पाइपों हेतु मूल्य वृद्धि का भुगतान करते समय पिग आयरन के मूल्य सूचकांक काम में लिए जाने थे, सिद्धान्तः सहमति जताई (नवंबर 2019) एवं अवगत कराया (दिसम्बर 2019) कि इस हेतु एक परिपत्र जारी कर दिया गया है (नवंबर 2019)। ₹ 10.73 करोड़ की कुल वसूली में से ₹ 3.96 करोड़ की राशि वसूल होना भी सूचित किया गया। इसके अतिरिक्त, शेष राशि की वसूली एवं सभी चालू परियोजनाओं की समीक्षा प्रक्रियाधीन थी।

3.9 गलत मूल्य सूचकांक अनुमत्य कर संवेदकों को अधिक भुगतान

अधूरे कार्य को आगामी टाइम स्पान में पूर्ण नहीं करने पर गलत मूल्य सूचकांक अनुमत्य कर देने से संवेदकों को मूल्य वृद्धि का राशि ₹ 16.24 करोड़ का अधिक भुगतान।

अनुबंध की सामान्य शर्तों के क्लॉज 45 एवं उसमें दी गई शर्तें अनुबंधित करती हैं कि अनुबंध की प्रगति के दौरान यदि कार्यों में सम्मिलित कोई सामग्री/बिटूमिन/डीजल/पेट्रोल/सीमेंट एवं स्टील के मूल्यों तथा/अथवा श्रमिकों की मजदूरी, निविदा खुलने की दिनांक अथवा समझौता वार्ता की दिनांक को प्रचलित दरों तथा/अथवा मजदूरी की तुलना में बढ़ती अथवा घटती हैं तो कार्य के लिए संवेदकों को भुगतान योग्य राशि, सामग्री/बिटूमिन/डीजल/पेट्रोल/सीमेंट एवं स्टील की दरें तथा श्रमिकों की मजदूरी के संदर्भ में वृद्धि अथवा कमी के लिए समायोजित की जाएगी।

आगे, यदि संवेदक पहले अथवा अन्य टाइम स्पान में आनुपातिक प्रगति नहीं करता है तथा प्रगति में कमी को उसके द्वारा मूल निर्धारित अवधि में ही आगामी टाइम स्पान में पूर्ण कर लिया जाता है तो उक्त क्लॉज की शर्त संख्या 10 के अनुसार उतने कार्य की मूल्य वृद्धि जितना पिछले टाइम स्पान में किया जाना अपेक्षित था, काल्पनिक रूप से उस तिमाही के मूल्य सूचकांक के आधार पर दी जाएगी जिसमें वह कार्य किया जाना आवश्यक था।

पांच खण्डों²⁵ में पाँच जलापूर्ति एवं पाइपलाइन कार्यों के अभिलेखों की नमूना-जांच (अक्टूबर 2018 एवं जनवरी-जून 2019) में प्रकट हुआ कि मूल निर्धारित अवधियों में संवेदक आवंटित

²⁵ परियोजना खण्ड- टोंक, परियोजना खण्ड-जोधपुर, विशेष परियोजना खण्ड-जयपुर, परियोजना खण्ड-अजमेर एवं परियोजना खण्ड-बस्सी के अधिकार क्षेत्र में।

कार्यों का केवल 19.41 से 46.69 प्रतिशत कार्य ही निष्पादित कर सके थे। संवेदक न केवल निर्धारित टाइम स्पान में कार्यों की आनुपातिक प्रगति बनाए रखने में बल्कि अधूरे कार्यों को आगामी टाइम स्पान में पूर्ण करने में भी असफल रहे।

चूंकि, संवेदकों ने पिछले टाइम स्पान के अधूरे कार्यों को आगामी किसी भी टाइम स्पान में पूर्ण नहीं किया, इसलिए मूल्य वृद्धि उन स्पानों जिनमें कार्य वास्तविक रूप से निष्पादित किया गया था, के मूल्य सूचकांकों के अनुसार देय थी। तथापि, विभाग ने मूल्य वृद्धि का भुगतान करते समय उन टाइम स्पान जिनमें कार्य वास्तविक रूप में निष्पादित किया गया था, के सूचकांकों के बजाय अनुचित रूप से पिछले टाइम स्पान जिनमें कार्य निष्पादित नहीं हुआ था, के मूल्य सूचकांकों को अनुमत्य किया। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 16.24 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि तालिका 4 में वर्णित है।

तालिका 4

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य पूर्णता के लिये निर्धारित टाइम स्पान की अवधि (स्पान के अन्त तक पूर्ण किया जाने वाला कार्य का अंश)	संवेदक द्वारा कार्य के अपेक्षित निष्पादन की संचयी मात्रा	संवेदक द्वारा कार्य की वास्तविक निष्पादित की गई संचयी मात्रा (प्रतिशत)	मूल्यवृद्धि के लिए अनुमत्य कार्य की मात्रा	मूल्यवृद्धि के लिए स्वीकार की गई कार्य की मात्रा	काल्पनिक कार्य के आधार पर भुगतान की गई मूल्यवृद्धि	वास्तविक कार्य के अनुसार भुगतान योग्य मूल्यवृद्धि	अधिक भुगतान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	बीसलपुर-टोंक-उनियारा-देवली जलापूर्ति परियोजना का पैकेज-II	I st स्पान-0 से 9 महीने (कुल कार्य का 1/8)	28.37	0	0	24.85	2.19	0.82	1.37
		II nd स्पान-10 से 18 महीने (कुल कार्य का 3/8)	85.12	25.39	25.39	53.44			
		III rd स्पान-19 से 27 महीने (कुल कार्य का 3/4)	170.24	42.82	17.43	3.92			
		IV th स्पान-28 से 36 महीने (पूर्ण कार्य)	226.99	82.21	39.39	-			
2.	133 गाँवों हेतु जल आपूर्ति मय डब्ल्यूटीपी, सीडब्ल्यूआर इत्यादि	I st स्पान-0 से 10.5 महीने (कुल कार्य का 1/8)	36.48	20.34	20.34	36.48	2.20	(-)2.81	5.01
		II nd स्पान-10.6 से 21 महीने (कुल कार्य का 3/8)	109.44	32.16	11.82	72.96			
		III rd स्पान-22 से 31.5 महीने (कुल कार्य का 3/4)	218.88	89.63	57.46	26.82			
		IV th स्पान-31.6 से 42 महीने (पूर्ण कार्य)	291.84	136.26	46.63	-			
3.	चम्बल भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना फेज- II (पैकेज-III)	I st स्पान-0 से 9 महीने (कुल कार्य का 1/8)	27.17	4.85	4.85	27.27	0.63	0.03	0.60
		II nd स्पान-10 से 18 महीने (कुल कार्य का 3/8)	81.50	16.41	11.56	14.91			
		III rd स्पान-19 से 27 महीने (कुल कार्य का 3/4)	163.01	37.07	20.66	-			
		IV th स्पान-28 से 36 महीने (पूर्ण कार्य)	217.34	42.18	5.11	-			
4.	तहसील-ब्यावर के 199 गाँवों की आरडब्ल्यूएसएस	I st स्पान-0 से 9 महीने (कुल कार्य का 1/8)	28.81	4.31	4.31	28.81	1.50	(-)1.97	3.47
		II nd स्पान-10 से 18 महीने (कुल कार्य का 3/8)	86.43	29.51	25.20	46.98			
		III rd स्पान-19 से 27 महीने (कुल कार्य का 3/4)	172.85	52.87	23.36	-			
		IV th स्पान-28 से 36 महीने (पूर्ण कार्य)	230.47	75.79	22.92	-			
5.	तहसील-बस्सी के 210 गाँवों की आरडब्ल्यूएसएस	I st स्पान-0 से 7.5 महीने (कुल कार्य का 1/8)	33.64	0.20	0.20	36.99	4.83	(-)0.96	5.79
		II nd स्पान-7.6 से 15 महीने (कुल कार्य का 3/8)	100.93	39.78	39.58	59.53			
		III rd स्पान-16 से 22.5 महीने (कुल कार्य का 3/4)	201.86	63.80	24.02	0.98			
		IV th स्पान-22.6 से 30 महीने (पूर्ण कार्य)	269.15	97.50	33.71	-			
कुल							11.35	(-) 4.89	16.24

यदि मूल्य वृद्धि की गणना किसी विशेष टाइम स्पानों में किये गये कार्य के वास्तविक मूल्य (जैसा कि तालिका के कॉलम संख्या 6 में दर्शाया गया है) के अनुसार की गई होती, तो संवेदकों को देय मूल्य वृद्धि की राशि ऋणात्मक ₹ 4.89 करोड़ परिणामित होती लेकिन इसके बजाय संवेदकों को ₹ 11.35 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया जिससे उन्हें ₹ 16.24 करोड़ का अदेय लाभ हुआ। यह मुख्यतः स्टील घटक के लिये बाद के स्पानों जिनमें वास्तव में संवेदकों द्वारा स्टील खरीदा गया था, के सूचकांको के बजाय पूर्व के स्पानों जिसमें दरें उच्चतर थी, के सूचकांको को स्वीकार करने के कारण हुआ।

इस प्रकार, काल्पनिक आधार पर मूल्य वृद्धि के भुगतान से संवेदकों को ₹ 16.24 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (जून 2020) कि यदि संवेदक द्वारा आनुपातिक प्रगति संधारित नहीं की जाती तो मूल्य वृद्धि काल्पनिक आधार पर देय होगी जो कि उस तिमाही के मूल्य सूचकांको पर आधारित होगी जिसमें उक्त कार्य वास्तविक रूप में निष्पादित किये जाने थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मूल्य वृद्धि की शर्त के अनुसार, काल्पनिक आधार पर मूल्य वृद्धि का भुगतान केवल उन्हीं प्रकरणों में अनुमत था जिनमें किसी विशिष्ट टाइम स्पान की आनुपातिक प्रगति में कमी को मूल निर्धारित अवधि में ही आगामी टाइम स्पान में पूर्ण कर लिया जाता है। इसलिए, विभाग की कार्यवाही उचित नहीं थी।

3.10 संवेदकों को अदेय लाभ

पाइपों की विलंब से आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली से संबंधित अनुबंध की विशेष शर्त की पालना नहीं करने के परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 10.09 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जस्वाअवि) ने तीन क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं (आरडब्ल्यूएसएस) एवं पोकरण-फलसूंड-बालोतरा-सिवाना (पीएफबीएस) जलापूर्ति परियोजना के पैकेज 4 बी के लिए कार्यादेश जारी किया (जुलाई एवं अगस्त 2013)। ये चारों अनुबंध एकल दायित्व टर्नकी अर्थात डिजाइन, निर्माण एवं 10 वर्ष का संचालन एवं संधारण (ओएंडएम) पर आधारित थे। इन फर्मों के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध की विशिष्ट शर्त 10 में प्रावधित था कि फर्म सर्वे एवं डिजाइन के आधार पर पाइपों के आकार एवं लंबाई का विनिश्चय करेगी तथा पाइपों को सुपुर्दगी का शिड्यूल प्रस्तुत करेंगी।

साथ ही अनुबंध में यह भी प्रावधित था कि फर्म अनुमोदित कार्य योजना/सुपुर्दगी शिड्यूल के अनुसार पाइपों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, जिसमें असफल होने पर क्षतिपूर्ति की वसूली प्रतिमाह आपूर्ति किए जाने वाले पाइपों की लागत के 0.25 प्रतिशत की दर से पाइपों की वास्तविक आपूर्ति होने तक संचयी रूप से की जाएगी। पाइपों की आपूर्ति में विलंब के लिए आरोपित क्षतिपूर्ति स्थाई प्रकृति की होगी तथा किसी भी परिस्थिति में पुनः लौटाई नहीं जाएगी।

चार परियोजना खण्डों के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2018 एवं जुलाई 2019 के मध्य) में प्रकट हुआ कि परियोजना खण्ड सांभर एवं फागी ने संबंधित संवेदकों से कार्य योजनायें (पाइपों का सुपुर्दगी शिड्यूल) प्राप्त नहीं की थी, जो कि अनुबंध की शर्त के विपरीत था। यद्यपि

संवेदकों ने यह वर्णित करते हुए कि जब भी आवश्यकता होगी तो पाइपों की आपूर्ति कर दी जाएगी, शपथ-पत्र प्रस्तुत किए थे, तथापि उन्होंने मात्रा बिल (बीओक्यू) में उल्लेखित पाइपों की संपूर्ण/आंशिक मात्राओं की आपूर्ति, कार्यों की पूर्णता की निर्धारित तिथियों तक भी नहीं की।

परियोजना खंड निवाई एवं बालोतरा के प्रकरणों में यद्यपि खण्डों ने कार्य योजनाएं प्राप्त/अनुमोदित की थी, तदनुसार सभी पाइप क्रमशः सितंबर 2015 एवं जनवरी 2016 तक आपूर्ति किए जाने थे, तथापि संवेदकों ने कार्य योजना में उल्लेखित आपूर्ति की अंतिम तिथि तक पाइपों की संपूर्ण/आंशिक मात्राओं की आपूर्ति नहीं की। पाइपों की आपूर्ति कार्यों की पूर्णता की निर्धारित तिथि के पश्चात भी जारी रही।

अनुबंध की शर्त के अनुसार संबंधित खण्डों द्वारा पाइपों की अनापूर्ति/विलंब से आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में राशि ₹ 13.50 करोड़ की कटौती किया जाना आवश्यक था, तथापि, केवल ₹ 3.41 करोड़ की राशि काटी गई एवं डिपॉजिट-V में रस्वी गई जैसा कि तालिका 5 में वर्णित है।

तालिका 5

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	परियोजना का नाम	परियोजना खंड	कार्यदेश की राशि	कार्यदेश जारी करने की/कार्य पूर्णता की निर्धारित दिनांक	पाइप आपूर्ति के लिए कार्य योजना	विलम्ब महीनों में	डिपॉजिट(-V) में रोकी गई राशि	आरोपित की जाने वाली कुल क्षतिपूर्ति
1.	फुलेरा तहसील के 173 गाँवों एवं दो कस्बों-जोबनेर एवं किशनगढ की आरडब्ल्यूएसएस	परियोजना खण्ड साँभर	226.95	जुलाई 2013/ जनवरी 2016	केवल शपथ पत्र प्रस्तुत किया	6-30 माह	1.05	2.79
2.	तहसील चाकसू के 267 गाँवों एवं तहसील फागी के 8 गाँवों व उनकी एनआरवी एवं ढाणियाँ	परियोजना खण्ड निवाई	234.96	अगस्त 2013/ जनवरी 2016	सितम्बर 2015 तक	1-29 माह	0.45	2.07
3.	फागी तहसील के 161 गाँवों एवं उनकी एनआरवी एवं ढाणियाँ	परियोजना खण्ड फागी	205.12	जुलाई 2013/ जनवरी 2016	केवल शपथ पत्र प्रस्तुत किया	3-32 माह	1.91	1.58
4.	पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना (पीएफबीएस) जलापूर्ति परियोजना - पैकेज 4 बी	परियोजना खण्ड बालोतरा	392.66	सितम्बर 2013/ सितम्बर 2016	जनवरी 2016 तक	1-50 माह	शून्य	7.06
योग			1059.69				3.41	13.50

चूंकि, क्षतिपूर्ति स्थाई प्रकृति की है इसलिए इसको डिपॉजिट-V (लोक लेखा का भाग), जिसमें विभाग को इसे रनिंग बिलो के अंतर्गत समायोजित/लौटाने की सुविधा है, में रस्वने के बजाय सरकारी राजस्व में जमा कराया जाना आवश्यक था।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2020) कि पाइपों की अनापूर्ति/विलंब से आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति एवं अनुबंध की सामान्य शर्तों के क्लॉज 2 के अंतर्गत परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (एलडी), अंतिम समयावृद्धि के समय निश्चित किए जाते हैं। आगे, समान प्रकृति के एक अनुच्छेद पर जन लेखा समिति में विचार-विमर्श के समय विभाग ने स्वीकार किया कि अनुबंध की विशेष

शर्त के क्लॉज 10 के अंतर्गत अंतिम एलडी/क्षतिपूर्ति शर्त की भाषा एवं लेखा परीक्षा की सलाह को ध्यान में रखते हुए संवेदकों को वापस नहीं लौटाई जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संपूर्ण परियोजना के लिए स्वीकृत की गई अंतिम समयावृद्धि अनुबंध की विशेष शर्त के प्रावधान के लागू होने को प्रभावित नहीं करती जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधित है कि 'पाइपों की विलंब से आपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति स्थाई प्रकृति की होगी एवं किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जाएगी'। आगे, विभाग ने स्वयं ही उल्लेखित चार में से तीन प्रकरणों में क्षतिपूर्ति की कटौती की है किंतु उसे राजस्व मद में जमा करने के बजाए डिपॉजिट-V में रखा। इस प्रकार, पाइपों की देरी से आपूर्ति के संबंध में क्षतिपूर्ति आरोपित करने का कोई विवाद नहीं है।

इस प्रकार, अनुबंध की विशेष शर्त की पालना न करने के परिणाम स्वरूप संवेदकों को ₹ 10.09 करोड़ का अदेय लाभ हुआ।

शहरी विकास एवं आवासन विभाग

3.11 निर्माणकर्ताओं से श्रमिक उपकरण का संग्रहण नहीं करना

स्थानीय निकायों द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण अधिनियम में यथानिर्धारित परियोजनाओं के अनुमोदन के समय निर्माणकर्ताओं से ₹ 7.05 करोड़ तक के श्रम उपकरण का संग्रहण नहीं किया गया।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (रोजगार एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू अधिनियम) अधिनियमित किया। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (मण्डल) के संसाधनों को बढ़ाने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण अधिनियम (उपकरण अधिनियम), 1996 भी अधिनियमित किया गया। उपकरण अधिनियम की धारा 3 में नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर उपकरण लगाने का प्रावधान है।

साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण नियम, 1998 के नियम 4 में उपकरण संग्रहण के समय और रीति को निर्धारित किया गया है। तदनुसार, ऐसे मामलों में, जहाँ किसी निर्माण कार्य के लिये स्थानीय निकाय के अनुमोदन की आवश्यकता है, अनुमोदन के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ मण्डल के पक्ष में देय उपकरण की राशि के लिये एक क्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट सलंगन होना चाहिये। परन्तु यदि परियोजना की अवधि एक वर्ष से अधिक संभावित है तब डिमांड ड्राफ्ट की राशि कार्य प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान होने वाली अनुमानित निर्माण लागत पर देय उपकरण के अनुसार होगी तथा आगे का भुगतान 30 दिनों के भीतर सम्बंधित अवधि के दौरान निर्माण लागत पर देय उपकरण के अनुसार किया जावेगा। तथापि, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार ने एक वर्ष से अधिक परियोजना अवधि होने पर आगामी वर्षों के लिये (अनुमानित लागत को वर्षों की संख्या से भाग देते हुए) उत्तर दिनांकित चैक के माध्यम से उपकरण एकत्र करने के लिए निर्देश जारी किये (जुलाई 2016)।

नगर विकास न्यास (नविन्या) बीकानेर तथा भिवाड़ी के अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2017 तथा जुलाई 2018) में प्रकट हुआ कि जनवरी 2015 से जून 2017 के दौरान ₹ 524.72 करोड़ की अनुमानित लागत की 15 भवन परियोजनाओं के लिये जिन विकासकर्ताओं को अनुमतियां जारी की गई थी, उनसे नविन्या द्वारा निर्धारित राशि ₹ 5.25 करोड़ का श्रम उपकर अग्रिम रूप से जैसाकि नियमों में प्रावधित था, संग्रहित नहीं किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के पालन नहीं किये जाने के कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

इसके विपरीत, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (नविआ) द्वारा निर्देश जारी किये गये (जून 2017) कि श्रम उपकर का भुगतान विकासकर्ता स्वयं के स्तर पर जमा करायेंगे तथा जमा रसीद पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय प्रस्तुत करेंगे। यह पाया गया कि यह निर्देश विभिन्न हितधारकों के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव (नविआ) की अध्यक्षता में आयोजित (जून 2017) मीटिंग में लिये गये निर्णय मात्र पर आधारित थे तथा सरकार द्वारा उक्त नियम 4 में संशोधन किये बिना ही जारी किये गये थे। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि इन निर्देशों के जारी होने के बाद ₹ 1.80 करोड़ श्रम उपकर संग्रहित किये बिना ₹ 180.54 करोड़ के अनुमानित लागत के चार और परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया। परिणामस्वरूप, राशि ₹ 7.05 करोड़ के अग्रिम उपकर की वसूली का अभाव रहा, जैसा कि तालिका 6 में दिया गया है:

तालिका 6

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	एफएआर क्षेत्र (वर्गमीटर में)	निर्माण की अनुमानित लागत	वसूली योग्य श्रम उपकर
1	नविन्या, भिवाड़ी	सामान्य	11	631066.21	530.64	5.31
2		सीएमजेवाई	4	164105.3	153.24	1.53
3	नविन्या, बीकानेर	सामान्य	3	3455.03	4.53	0.04
4		सीएमजेवाई	1	18992.59	16.85	0.17
	योग		19	817619.13	705.26	7.05

नविन्या भिवाड़ी ने बताया (जून 2017) कि नविआ विभाग के आदेशानुसार श्रम उपकर अनुमोदन के समय अग्रिम रूप से जमा नहीं किया गया था और श्रम उपकर के भुगतान के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

इस प्रकार, अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण श्रम उपकर राशि ₹ 7.05 करोड़ की अग्रिम वसूली नहीं की जा सकी। श्रम विभाग, राजस्थान सरकार के हस्तक्षेप (जनवरी 2019) कि नविआ विभाग द्वारा दिनांक 27 जून 2017 को जारी आदेश अधिनियम की भावना तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों (मार्च 2018) के विपरीत है, के बावजूद उक्त वर्णित निर्देश विभाग द्वारा वापिस नहीं लिये गये थे।

ध्यान में लाये जाने पर (फरवरी 2020) राज्य सरकार ने सूचित किया (जून 2020) कि विकासकर्ताओं द्वारा स्वयं के स्तर पर श्रम उपकर के भुगतान तथा पूर्णता प्रमाण पत्र के समय जमा रसीद प्रस्तुत करने से सम्बंधित निर्देश (जून 2017) अब हटा दिये गये हैं। इसके

अतिरिक्त, श्रम उपकर की अग्रिम वसूली एवं संग्रहण, जैसा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 में निर्धारित है, को सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किये गये हैं (जून 2017)।

यद्यपि, राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेप के कारण परिपत्र को संशोधित कर दिया है, तथापि, 19 प्रकरणों में ₹ 7.05 करोड़ के श्रम उपकर की वसूली अभी भी होनी है।


चूंकि ये प्रकरण केवल उदाहरण मात्र हैं तथा दो नविन्या के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं, इसलिए श्रम उपकर की गैर-वसूली/कम वसूली की ऐसी अनियमितताओं से बचने के लिये सभी स्थानीय निकायों द्वारा जून 2020 तक अनुमोदित सभी परियोजनाओं की उक्त आधार पर ही समीक्षा की जावे।

जयपुर,
20 जुलाई, 2020


(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-1), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
22 जुलाई, 2020


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.2)

विभागों की सूची दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम	क्र.सं.	विभाग का नाम
1	कृषि	20	हरीश चन्द्र माथुर क्षेत्रीय लोक प्रशासन संस्थान	39	सैनिक कल्याण
2	कृषि विपणन	21	उच्च शिक्षा	40	संस्कृत शिक्षा
3	पशुपालन	22	गृह	41	माध्यमिक शिक्षा
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	23	उद्यान	42	कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता
5	कला एवं संस्कृति	24	सूचना एवं जनसम्पर्क	43	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
6	आयुर्वेद	25	जेल	44	राज्य उद्यम
7	भाषा एवं पुस्तकालय	26	श्रम	45	राज्य मोटर गैराज
8	उपनिवेशन	27	विधि एवं विधिक कार्य	46	तकनीकी शिक्षा
9	सहकारिता	28	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	47	जनजातीय क्षेत्रीय विकास
10	देवस्थान	29	चिकित्सा शिक्षा	48	नगरीय विकास एवं आवासन
11	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता	30	अल्पसंख्यक मामलात्	49	महिला एवं बाल विकास
12	निर्वाचन	31	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण	50	युवा एवं खेल मामले
13	कर्मचारी राज्य बीमा	32	कार्मिक		
14	कारखाना एवं बायलर (निरीक्षण)	33	आयोजना		
15	वित्त	34	प्राथमिक शिक्षा		
16	सामान्य प्रशासन	35	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग		
17	गोपालन	36	राजस्थान लोक सेवा आयोग		
18	मत्स्य	37	राजस्थान कर्मचारी चयन मण्डल		
19	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	38	मुद्रण एवं स्टेशनरी		

परिशिष्ट 1.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.7)

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का उत्तर देने के अभाव का विवरण दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अनियमितता की श्रेणी	आपदा प्रबंधन, राहत एवं नागरिक सुरक्षा विभाग		तकनीकी शिक्षा विभाग		पेंशन तथा पेंशनर्स कल्याण विभाग	
		अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
1	कपट/दुर्विनियोजन/गबन/हानियां/भंडार एवं नकद की चोरी	27	32,715.34	8	303.02	-	-
2	लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाई गई वसूलियां	44	2,737.27	259	1,174.28	935	495.00
3	संविदात्मक बाध्यताओं का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित सहायता	19	60.58	9	698.56	-	-
4	परिहार्य/अधिक व्यय	83	3,395.96	7	215.94	-	-
5	निरर्थक/निष्फल व्यय	28	752.95	26	3,309.17	-	-
6	विनियामक प्रकरण	197	96,078.64	91	10,765.51	554	3,177.79
7	निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय संस्थापना/निधियों का अवरोधन/निधियों का विपथन	131	49,108.96	27	5,208.24	-	-
8	उपकरणों की संस्थापना में विलम्ब/निष्क्रिय रहना	9	327.91	1	0.25	-	-
9	उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना	13	121.19	6	1,634.04	-	-
10	विविध	169	3,79,248.16	120	9,685.88	224	77.29
	योग	720	5,64,546.96	320	32,994.89	1,713	3,750.08

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.1)

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के संगठनात्मक संरचना के ब्योरे को दर्शाने वाला विवरण

स्तर	प्रधिकारी	कार्य और जिम्मेदारियाँ
राज्य	<ul style="list-style-type: none"> माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि सचिव, ग्रावि राज्य नोडल अधिकारी राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (पीएमयू) के प्रमुख (पीएम) 	<p>राज्य पीएमयू निम्न के लिए उत्तरदायी है:</p> <ul style="list-style-type: none"> जिलों और ब्लॉकों को लक्ष्यों का आवंटन; किस्तों की संख्या और किस्तों की राशि का निर्धारण; स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) की तैयारी का अनुश्रवण और पीडब्ल्यूएल से वार्षिक चयन सूची का आहरण; आवास-सॉफ्ट में नई प्रशासनिक इकाइयों का मानचित्रण; राज्य के भीतर क्षेत्र विशेष के आवास प्रकारों का विकास; विभिन्न योजनाओं के बीच एक अभिसरण योजना तैयार करना और इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना; लाभार्थियों को ऋण वितरण का अनुश्रवण; मेसन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना और आयोजन करवाना; पीएमएवाई-जी और विशेष परियोजना के तहत निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण; राज्य नोडल स्वाते का अनुश्रवण और प्रबंधन; आवास-सॉफ्ट संबंधित प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन ; निधि जारी करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
जिला	<ul style="list-style-type: none"> जिला निगरानी, क्रियान्वयन और समन्वय समिति - अध्यक्ष और जिला कलेक्टर सीईओ, जिलापरिषद जिला स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) 	<p>जिला पीएमयू उत्तरदायी हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> ब्लॉकवार पीडब्ल्यूएल को अंतिम रूप देना और पीडब्ल्यूएल से वार्षिक चयन सूची का आहरण; भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का आवंटन करने में मदद करना; लाभार्थियों के संवेदीकरण की योजना बनाना और आयोजन करवाना; मेसन प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाना और पहचान किए गए प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से आयोजन करवाना; सामुहिक स्रोत से निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना; डे-ऐनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी और मनरेगा के माध्यम से निर्माण सामग्री के उत्पादन की योजना तैयार करना; इच्छुक लाभार्थियों को ऋण वितरण के लिए बैंक के साथ समन्वय करना और प्रगति की निगरानी करना; विशेष परियोजना प्रस्तावों को तैयार करना और इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना; घरों के निर्माण की प्रगति और आवास-सॉफ्ट पर रिपोर्टिंग का अनुश्रवण करना;

स्तर	प्रधिकारी	कार्य और जिम्मेदारियाँ
ब्लॉक	<ul style="list-style-type: none"> ब्लॉक निगरानी, क्रियान्वयन और समन्वय समिति खंड विकास अधिकारी (बीडीओ)/ समन्वयक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) 	<p>ब्लॉक पीएमयू उत्तरदायी हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> लाभार्थियों का पंजीकरण और उन्मुखीकरण; स्वीकृति आदेश जारी करना; लाभार्थी को गांव के एक पदाधिकारी से संपर्क (मैप) कराना; लाभार्थियों को एक प्रशिक्षित मेसन उपलब्ध (टैग) कराना; मकान निर्माण की प्रगति और किस्तों को समय पर जारी करने का अनुश्रवण करना और आवास-एप/आवास-सॉफ्ट के माध्यम से निर्माण की प्रगति की रिपोर्टिंग करना ।
ग्राम पंचायत	ग्राम स्तरीय कार्यकारिणी जैसे ग्राम रोजगारसहायक, कनिष्ठ सहायक आदि ।	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम पंचायत एसईसीसी-2011 के आधार पर तैयार पात्र लाभार्थियों की स्थाई प्रतीक्षा सूची को चयन, वरीयता निर्धारित कर अंतिम रूप देगी और सिस्टम जनित प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किए गए परन्तु अन्यथा पात्र पायें गए परिवारों की सूची तैयार करेगी । ग्राम पंचायत योजना के विभिन्न पहलुओं पर लाभार्थियों के उन्मुखीकरण की सुविधा प्रदान करेगी । ग्राम पंचायत भूमिहीन लाभार्थी को आवंटन के लिए उपलब्ध सामान्य भूमि की पहचान करने में सहायता करेगी ।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.4)

पीएमएवाई-जी की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित इकाइयों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	संभाग का नाम	चयनित जिलों का नाम	चयनित ब्लॉकों का नाम	चयनित ग्राम पंचायतों का नाम	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या
1.	अजमेर	टोंक	निवाई	भरथला, रहोली, डांगरथल, हनोटियाबुजुर्ग, बहार, राजवास, संडेवात, बरसी	08
2.	भरतपुर	भरतपुर	कुम्हेर	रारह, धनवारा, रुंधहेलक, अवार, बेलारा कलां, हेलक और वावैन	07
3.	बीकानेर	बीकानेर	नोखा	गजसुखदेसर, सोमलसर, हिममतसर, बीकासर, मेनसर, सिनियाला, मसूरी	07
4.	जयपुर	दौसा	दौसा	बोरोदा, सिंदोली, संथाल, भंडारेज, नांगल चापा, जोपारा	06
5.	जोधपुर	जोधपुर	मंडोर	सालोडी, डांगियावास, सटियासनी, पीठावास, बावराला, कदवाड़, जलेली दायकड़ा	07
			फलौदी	पड़ियाल, ढाढ़ू, उगरस, राधकापुरा, मलार, बरजासर	06
6.	कोटा	बारां	बारां	तुलसान, कोतरीसुंडा, इकलेरा, कलमंडा, रटावद	05
7.	उदयपुर	उदयपुर	गिर्वा	कलारवास, डाकनकोटरा, देबारी, खजुरी, मतून, सीसारमा (ग्रामीण), पाई	07
			सलूम्वर	सती की चोरी, करावली, सारदी, मेथुरी, इटाली-खेरा, बेडावल	06
कुल		07 जिले	09 ब्लॉक		59 ग्राम पंचायतें

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.6.1)

अंतिम स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों की संख्या का जिलेवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला	लाभार्थियों की कुल संख्या	अस्वीकृत लाभार्थी	शेष लाभार्थी	निर्धारित प्राथमिकता के साथ लाभार्थियों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा रिमांड के पश्चात अंतिम स्थाई प्रतीक्षा सूची
1	अजमेर	53196	25241	27955	27955	27955
2	अलवर	59158	39064	20094	19708	19574
3	बाँसवाड़ा	261452	73082	188370	188370	188358
4	बारां	62406	18039	44367	43643	43643
5	बाड़मेर	205553	52922	152631	152493	152493
6	भरतपुर	44918	27936	16982	16843	16843
7	भीलवाड़ा	111062	59358	51704	51669	51668
8	बीकानेर	76104	18325	57779	57616	57599
9	बूंदी	76213	30039	46174	46174	46174
10	चित्तौड़गढ़	60317	25468	34849	34849	34840
11	चुरू	49266	16955	32311	32311	32311
12	दौसा	51889	30972	20917	20917	20917
13	धौलपुर	38133	26698	11435	11381	11381
14	डुंगरपुर	192672	51392	141280	135302	134894
15	हनुमानगढ़	69535	37675	31860	31836	31836
16	जयपुर	52470	28687	23783	23735	23735
17	जैसलमेर	44710	11920	32790	32790	32790
18	जालोर	103014	36426	66588	66588	66588
19	झालावाड़	80653	26887	53766	53766	53766
20	झुंझुनू	11499	9261	2238	2180	2156
21	जोधपुर	100696	26294	74402	74399	74399
22	करौली	46299	16082	30217	30217	30216
23	कोटा	40475	14603	25872	25872	25862
24	नागौर	57200	19021	38179	37652	37621

क्र.सं.	जिला	लाभार्थियों की कुल संख्या	अस्वीकृत लाभार्थी	शेष लाभार्थी	निर्धारित प्राथमिकता के साथ लाभार्थियों की संख्या	ग्राम सभा द्वारा रिमांड के पश्चात अंतिम स्थाई प्रतीक्षा सूची
25	पाली	80002	40382	39620	39620	39620
26	प्रतापगढ़	97646	27486	70160	69765	69764
27	राजसमंद	36232	10790	25442	25442	25442
28	सवाई माधोपुर	57917	29554	28363	28363	28363
29	सीकर	21860	15637	6223	6122	6109
30	सिरोही	62224	24348	37876	37876	37875
31	श्री गंगानगर	95577	43230	52347	52347	52299
32	टोंक	73423	26742	46681	46559	46559
33	उदयपुर	248154	82370	165784	163337	163334
	योग	2721925	1022886	1699039	1687697	1686984

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

<http://agraj.cag.gov.in>